# इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

दूसरी वार्षिक रिपोर्ट (2016-17)







## सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सी एस भटनागर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

## मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली

## सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स सुरिभ बंसल एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

## कंपनी के ईपीसी ठेकेदार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड



## पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017

सीआईएन :U45400DL2015GOI280017

## विजन एवं मिशन

#### <u>विजन</u>

मध्यप्रदेश राज्य में किमी 236.000 से किमी 332.100 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी - गूना खंड को चार लेन का बनाने की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और संचालन तथा सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करके राजमार्ग प्रयोक्ताओं की सुरक्षा व आराम को सुनिश्चित करना।

#### <u>मिशन</u>

- (i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।
- (ii) परियोजना के कुशल नियोजना और सतर्क मॉनीटरिंग का कड़ाई से अनुपालन करके निर्माण और अनुरक्षण की लागत को मितव्ययी बनाने के लिए सुजनात्मक निर्माण तकनीकों का प्रयोग।
- (iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयाविध के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।
- (iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

## विषय वस्तु

विवरण	ਸૃष्ठ
अध्यक्ष का संबोधन	08
निदेशक की रिपोर्ट	12
प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	28
फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार	33
फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विव	रण 45
निगमित शासन रिपोर्ट	47
निगमित शासन पर प्रमाणपत्र	56
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	62
वित्तीय विवरण 2016-17	
तुलन पत्र	70
लाभ व हानि विवरण	71
रोकड़ प्रवाह विवरण	72
इक्विटी परिवर्तन विवरण	73
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - नोट सं. 1-2	74
प्रकटन सहित लेखों के नोट - नोट सं 3 से 36	95
सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट	122
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	137

## निदेशक मंडल (अंशकालीन निदेशक)



**श्री दीपक सबलोक** अध्यक्ष



श्री अशोक कुमार गोयल निदेशक



श्री आनन्द कुमार सिंह निदेशक



श्री राजेन्द्र सिंह यादव निदेशक



सुश्री अनुपम बेन निदेशक

## मुख्य कार्यपालक



मसूद अहमद नजर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री प्रदीप कुमार जैन मुख्य वित्त अधिकारी



**सुश्री साक्षी मेहता** कंपनी सचिव

## परियोजना फोटोग्राफ (राष्ट्रीय राजमार्ग-3, शिवप्री गुना टोलवे, मध्य प्रदेश)











## अध्यक्ष का संबोधन



इरकॉन एसजीटीएल के निदेशक मंडल की ओर से मुझे कंपनी की दूसरी वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट परिपत्रित की गई है। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मानता हूं।

#### परियोजना का परिचय

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे (इरकॉन एसजीटीएल) का निगमन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर किमी 236.00 से किमी 332.100 (97.74 किमी) तक शिवपुरी-गूना खंड को चार लेन का बनाने के लिए किया गया है।

कुल परियोजना लागत 872.11 करोड़ रूपए है और ईपीसी संविदा लागत 642 करोड़ रूपए है। निर्माण के प्रथम चरण में सड़क की कुल लंबाई 97.70 किलोमीटर (फोर लेनिंग) है और समत्ल्य दो लेन की लंबाई 170.60 किमी है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने 150 करोड़ रूपए की पूरी प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी को परियोजना खर्च कर दिया है और परियोजना निर्माण लागतों को पूरा करने के लिए 722.11 करोड़रूपए के अनुमोदित ऋण में से 162.65 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त कर लिया है। वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय 294.12 करोड़ रूपए है और 31 मार्च 2017 को संचयी पूंजीगत व्यय 300.68 करोड़ है।

#### निर्माण की निर्धारित अवधि

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना के पूरा होने की संभावना है ताकि अनुसूचित सीओडी से पूर्व अप्रैल 2018 में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त की जा सके।

#### परियोजना प्रगति: भौतिक और वित्तीय

- i. 170.60 किमी (समतुल्य दो लेन) के कुल कार्यक्षेत्र में से, 110.46 किमी के निर्माण में भूर्-कार्य, पुल और छोटे पुलों को छोड़कर प्रमुख पुलों, 93.54 किमी डीबीएम और 97.26 किमी के डब्ल्यूएमएम के कार्यों को दिनांक 31 मार्च 2017 तक पूरा कर लिया गया है।
- ii. जहां तक रियायत समझौते की अनुसूची-छ में निर्दिष्ट अनुसार वितीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का संबंध है, 872.11 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत का 10%, 35% और 70% व्यय निम्नानुसार किया गया है:
- क) प्रथम वितीय लक्ष्य एनएचएआई को दिनांक 22 जुलाई 2016 को प्रस्तुत किया गया था जो 93.32 करोड़ रूपए के मूल्य हेतु नियुक्ति तिथि से 180 दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया था और इसे बिना क्षतिपूर्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।
- ख) दूसरा वितीय लक्ष्य भी एनएचएआई को प्रस्तुत किया गया था और इसे 278.06 करोड़ रुपये के मूल्य पर निर्धारित तिथि से 400 दिनों के भीतर दिनांक 27 फरवरी 2017 को बिना किसी क्षतिपूर्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
- ग) तीसरा वितीय लक्ष्य दिनांक 4 नवंबर 2017 तक प्राप्त किया जाना है, अर्थात् नियत तिथि से 650 दिनों के भीतर और इसे निर्धारित अनुसूचित के अनुसार प्राप्त किए जाने की आशा है।

#### वित्तीय निष्पादन

इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण सफलतापूर्वक इंड एएस ('भारतीय लेखांकन मानक') की ओर स्थानांतिरत हो गई है और वर्ष 2016-17 से आरंभ अविध के लिए वितीय विवरणों को वर्ष 2015-16 के पिछले वितीय आंकड़ों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ इंड एएस के अनुसार तैयार किया गया है।

पूर्ववर्ती लेखांकन मानकों के अनुसार, अर्थात् भारतीय जीएएपी, निर्माणाधीन परियोजना, शून्य राजस्व प्रचालन से परिलक्षित होता था और केवल बैंक जमा से प्राप्त आय अन्य आय के रूप में परिलक्षित होती थी। लेकिन इंड एएस विशेष रूप से इंड एएस-11 के रूप में लेखांकन मानक की प्रयोज्यता के कारण - 'सेवा रियायत समझौते के लिए लेखांकन', परियोजना विकास व्यय को प्रचालन से राजस्व के रूप में अंकित किया गया है; इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना अभी भी निर्माणाधीन है।

तदनुसार, वितीय वर्ष 2016-17 के लिए, प्रचालन से राजस्व 29,412.43 लाख रूपए और कुल वृहत आय 39.21 लाख रूपए है जबकि वितीय वर्ष 2015-16 के लिए, प्रचालन से राजस्व 655.96 लाख रूपए और शुद्ध घाटा 91.22 लाख रूपए था।

भारतीय जीएएपी से इंड एस के लिए लेखांकन मानकों में परिवर्तन को कंपनी वितीय विवरणों में परिलक्षित किया गया है और सदस्यों से अन्रोध किया जाता है कि वे इसको ध्यान रखें।

#### अनुपालन एवं प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके संबंधित नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आपकी कंपनी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन

के अनुपालन में 13 जुन, 2017 के दौरान वर्ष 2017-18 के लिए दूसरी बार धारक कंपनी,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

आभारोक्ति

मैं धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी के लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान

ग्राहक यथा एनएचएआई द्वारा कंपनी को निरंतर समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए

हार्दिक धन्यवाद तथा आभाग प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना

करता हूं, जो हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और मूल्यों

की गहरी भावना हमारी कंपनी को आगे ले जाने की कुंजी है।

(दीपक सबलोक)

अध्यक्ष

डिन: 0356457

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 25.09.2017

11

# निदेशक की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष: 2016-17

## निदेशक की रिपोर्ट

#### सेवा में कंपनी के सदस्य

आपके निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और प्रचालनों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इनकी समीक्षा सिहत वित्तीय विवरण हेतु कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है।

#### क. व्यवसायिक अवलोकन: गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल) को 872.11 करोड़ रूपए की कुल परियाजना लागत पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, हालांकि, इस परियोजना को दो चरणों में निष्पादित किया जा रहा है अर्थात् चरण-। और चरण-॥ चरण-। की कुल लागत 759.98 करोड़ रूपए है जिसे दिनांक 22 जुलाई 2018 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है और जबकि चरण-॥ की कुल लागत 112.13 करोड़ रूपए है और यह जनवरी 2020 से आरंभ होगा। ईपीसी लागत 642 करोड़ है और एनएचएआई द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2016 को निर्धारित तारीख के रूप में अधिसूचना किया गया है तथा कंपनी ने परियोजना राजमार्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कर दिया है और यह कार्य निरंतर प्रगति पर है।

कंपनी नियुक्ति तिथि तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित निर्धारित समयसीमा के अनुसार 910 दिनों के भीतर 25 जनवरी 2016 ('संचालन

की वाणिज्यिक तिथि' - डीओडी) और टोलवे को चालू करने के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार भौतिक और वित्तीय प्रगति कर रही है।

चरण-। के लिए परियोजना की भौतिक प्रगति योजना अनुसार है और चालू वितीय वर्ष के दौरान इसकेपूरा होने की संभावना है ताकि अप्रैल 2018 में वाणिज्यिक सीओडी (सीओडी) को निर्धारित सीओडी तिथि से पूर्व प्राप्त किया जा सके।

परियोजना की वितीय प्रगति (अर्थात पूंजीगत व्यय - कुल परियोजना लागत के सापेक्ष) 300.68 करोड़ रुपये रुपये के मूल्य पर है, जिसे 'विकास के तहत अमूर्त आस्तियों' के मूल्य के समतुल्य परियोजना के विकास पर राशि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त वितीय प्रगति को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत निम्नानुसार हैं: -

- इिक्वटी शेयर पूंजी: 150 करोड़ रूपए (संपूर्ण इिक्वटी को प्राप्त व खर्च किया गया है)
- रक्षित ऋण (उधार): 162.65 करोड़ रूपए (722.11 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि के प्रति)

#### ख. कंपनी का वित्तीय निष्पादन

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने पूर्ववर्ती भारतीय सामान्यत स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत ( भारतीय जीएएपी) से भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) में अंतरण के अनुसार वितीय वर्ष 2016-17 के लिए अपने वार्षिक वितीय विवरण तैयार किए हैं। तदनुसार, लेखांकन नीतियों को इंड एएस के अनुपालन के लिए पुन:निधीरित किया गया है।

भारतीय जीएएपी की तुलना इंड एएस - विशेष रूप से इंड एएस 11 "सेवा रियायत व्यवस्था" के अनुप्रयोग के कारण, कंपनी के वितीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, जैसा कि 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण की स्थिति में परिलक्षित होता है, जिसमें:-

- 1. परियोजना विकास व्यय (पूंजीगत व्यय) को 'प्रचालनों से राजस्व' के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि इस तरह के व्यय से कंपनी के लिए परिसंपत्ति का निर्माण होता है, हालांकि परियोजना निर्माण चरण में है और अभी तक इसका टोलवे प्रचालन आरंभ शुरू नहीं हुए हैं; तथा
- 2. परियोजना निर्माण व्यय को प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार किया गया है।

पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी के तहत, संपूर्ण परियोजना निर्माण व्यय 'विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों' में केवल त्लनपत्र के परिसंपत्ति पक्ष में परिलक्षित होता था।

इसके अतिरिक्त, चूंकि वितीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक वितीय विवरण पिछले वितीय वर्ष 2015-16 के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाते हैं, इसलिए वितीय वर्ष 2015-16 के आंकड़े भी इंड एएस के अनुसार निर्धारित और समायोजित किए गए हैं। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी के लिए और कुल वृहत आय 'समायोजन विवरण' खातों का मुख्य भाग है और इसकी प्रमुख मदें नीचे प्रस्तुत हैं: -

इंड एएस के अनुपालन के पश्चात दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु आंकड़ों में प्रमुख परिवर्तन:

## इंड एएस समायोजन - लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण - वित्तीय वर्ष 2015-16

(रुपये में लाख)

विवरण	भारतीय जीएएपी	समायोजन	इंड एएस
1. प्रचालन से राजस्व	शून्य	655.96	655.96
2. संविदा लागत	शून्य	655.96	655.96

इस प्रकार, उक्त सूचना के संदर्भ में, इंड एएस के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए कंपनी की वितीय स्थिति के सार को नीचे सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है: -

दिनांक 31 मार्च 2017 को वित्तीय निष्पादन संकेतक

(रुपये में लाख )

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
	समाप्त वर्ष के	समाप्त वर्ष के
	लिए	लिए
	(लेखा परीक्षित)	(लेखा परीक्षित)
1. इक्विटी शेयर पूंजी	15,000	3,300
2. अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि व अतिरेक	(66.84)	3,605.78
सहित)		

3. धारक कंपनी से ऋण (उधार)	16,265	-
4. विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति	30,068.39	655.96
5. कुल परिसंपत्ति और देयताएं	32,409.73	8,975.56
6. प्रचालन से राजस्व	29,412.43	655.96
7. अन्य आय	61.15	7.34
8. कुल आय (6) + (7)	29,473.58	663.30
9. प्रचालन लागत	29,412.43	655.96
10. अन्य व्यय	-	136.76
13. कुल व्यय (9) + (10)	29412.43	792.72
14. कर से पूर्व लाभ (8) - (13)	61.15	(129.42)
15. कर पश्चात लाभ	39.21	(91.22)
16. अन्य वृहत आय	-	-
17. कुल वृहत आय ( लाभ (हानि) और		
अन्य वृहत आय सहित (15) + (16)	39.21	(91.22)

## शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रूपए है जिसमें प्रत्येक 10 रूपए के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। सम्पूर्ण इक्विटी का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया है, इसलिए, 31 मार्च 2017 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 150 करोड़ रूपए है।

#### ग. परियोजना से रोकड़ प्रवाह

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह में कुल कमी रूपए (2,555.67) लाख है।

#### घ प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट को अनुबंध-। के रूप में निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

#### ड. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां हैं:-

- 1. लेखापरीक्षा समिति
- 2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

#### च. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

#### (i) बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा इनमें निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा बोर्ड की बैठकें और उनकी शक्तियां, नियम, 2014 तथा डीपीई (निगमित शासन) दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की 09 बैठकें हुई।

## वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	बोर्ड बैठक की तिथि	पिछली बैठक के	उपस्थित निदेशकों	अनुपस्थित
		संबंध में समय	की संख्या	निदेशकों की संख्या
		अंतराल यथा		
		(दिनों की संख्या)		
1.	6 मई 2016	48	3	श्नय
2.	20 जून 2016	44	3	शून्य
3.	21 जुलाई 2016	30	4	शून्य
4.	11 अगस्त 2016	20	4	शून्य
5.	26 सितंबर 2016	45	4	शून्य
6.	17 अक्तूबर 2016	20	3	शून्य
7.	5 दिसंबर 2016	18	3	श्र्च
8.	3 जनवरी 2017	28	3	
9.	14 मार्च 2017	69	4	

(iii) निदेशक मंडल आज की तिथि को निम्नलिखित निदेशक पदधारित हैं:

क्र.सं	निदेशक	नियुक्ति की तिथि	डिन
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	12 मई 2015	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	12 ਸई 2015	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक	21 जुलाई 2016	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक	6 मार्च 2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक	9 जून 2017	07797026

#### (iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-203 के प्रावधानों के अनुसार, श्री मसूद अहमद नाजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंपनी के मुख्य वितीय अधिकारी श्री मोहम्मद हन्नान को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में दिनांक 21 जुलाई 2016 को घोषित किया गया था। श्री हिमांशु मनचंदा, कंपनी सचिव को दिनांक 01 जुलाई 2016 को केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया था।

तथापि, श्री मोहम्मद हन्नान, मुख्य वितीय अधिकारी दिनांक 14 मार्च 2017 से पदमुक्त हो गए थे और श्री प्रदीप कुमार जैन को श्री मोहम्मद हन्नान के स्थान पर दिनांक 15 मार्च 2017 से धारक कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था और तदनुसार केएमपी के रूप में कार्य करने के लिए श्री

परमदीप कुमार जैन से सहमित के आधार पर, उन्हें 28 जुलाई 2017 को केएमपी के रूप में घोषित किया गया था।

श्री हिमांशु मनचंदा, कंपनी सचिव दिनांक 24 मार्च 2017 को पदमुक्त हुए और तदनुसार सुश्री साक्षी मेहता को 29 मई 2017 से कंपनी सचिव नियुक्त किया गया था।

#### छ. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्च्छेद 134(5) के अन्सार, निदेशक मंडल यह पृष्टि करता है कि:

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण\*\* थे तािक वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अविध के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तिविक चित्र प्रस्तुत हो सके।
- (ग) निदेशकों द्वारा पिरसंपितयों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "निरंतर" आधार पर तैयार किए हैं।

- (ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालिक थीं।
- ज. अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर विवरण। कंपनी में इसके पहले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- ट. अंतर-निगमित ऋण तथा निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186)
  आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतर-निगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।
- ठ. वार्षिक रिपोर्ट का सार एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का सार अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है।

ड. अनुच्छेद 188 के अंतर्गत संबंधित पक्ष संव्यवहार- फार्म संख्या एओसी-2 में संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं

फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन अनुबंध-ग के रूप में संलग्न है।

#### ढ. लाभांश तथा आरक्षित निधियां

निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस के अनुप्रयोग के अनुसार, आरक्षित निधियों को वित्तीय विवरणों में अन्य इक्विटी शेष के अंतर्गत प्रतिधारित आमदिनयों के रूप में परिलक्षित किया गया है और दिनांक 31 मार्च 2017 को अपकी कंपना का रूपए (66.84) लाख रूपए का ऋणात्मक शेष है।

#### ण. **जमा राशियां**

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

#### प. ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा उपप्रवह

राजमार्ग के निर्माण के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने हेतु एनएचएआई द्वारा निर्धारित उपयुक्त उपाय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विदेशी मुद्रा आगम और निर्गम नहीं हुआ है।

#### फ. वित्तीय विवरणों के लिए निदेशक के अवलोकन और टिप्पणियां

(लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण)

वित्तीय विवरण लेखांकन की दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है,

जरनल में अंकित हर एक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बहि में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है और इसे लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए शून्य अर्हताओं सहित पूर्णत: व्यवस्थित पाया है।

#### ब. आंतरिक लेखांकन नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित ब्यौरा

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएफसी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित स्रक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अनुसार (सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू) लेखा परीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2014-15 से आरंभ) में उल्लेख करने का प्रावधान है।

कंपनी द्वारा अभिकल्पित और क्रियान्वित किए गए वितीय विवरणों के संदर्भ में आंतिरक वितीय नियंत्रण, कंपनी के आकार और जिटलता के अनुसार उपयुक्त पर्याप्त हैं। आपकी कंपनी का मत है कि ये आंतिरक नियंत्रण प्रणालियां एक उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी के लेनदेन को प्रबंधन प्राधिकरण के साथ निष्पादित किया जाता है और इन्हें सभी भौतिक मामलों में रिकॉर्ड किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वितीय विवरण तैयार करने की अनुमित देने के लिए दर्ज किए जाते हैं और कंपनी की संपत्तियों को द्रुपयोग या हानि के प्रतिपर्याप्त रूप से स्रक्षित रखा जाता है।

#### भ. जोखिम प्रबंधन

बोर्ड कंपनी को व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम की संभावना नहीं है।

#### भ. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पिठत कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के प्रावधान के अनुसरण में, वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या अधिक या प्रति माह 5 लाख रूपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

#### प. निगमित संचलन पर रिपोर्ट

निगमित संचलन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अन्बंध-घ के रूप में संलग्न किया गया है।

#### फ. लेखापरीक्षक

#### क) सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स सीएस भटनागर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

#### ख) सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स सुरिभ बंसल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सिचवों को वितीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सिचवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।

#### ग) आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एंड्रोस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है।

#### ह. सीएसआर समिति

आज की तिथि को कंपनी के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सिमिति का गठन अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि कंपनी 500 करोड़ रूपए या अधिक की निवल परिसंपत्ति, 1000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ या अधिक के निवल लाभ के क्षेत्र में नहीं आती है (कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 135)

- ब. सहायक कंपनियों, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों का ब्यौरा कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संबद्ध तथा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।
- भ. वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि से वार्षिक आम बैठक की रिपोर्ट की तिथि तक सामग्रीगत
  परिवर्तन या प्रभावित प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा

वर्ष के समापन के पश्चात, कंपनी ने धारक कंपनी (इरकॉन) से 158.29 करोड़ रूपए का ऋण पाप्त किया है।

#### ल. समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए डीपीई समझौता ज्ञापन के दिशानिर्दशों का अनुपालन करते हुए जुलाई, 2016 के दौरान वर्ष 2016-17 के लिए पहली बार धारक

कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसी प्रकार

दिनांक 13 जन 2017 को वर्ष 2017-18 के लिए धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ

समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

व. आभारोक्ति

आपके निदेशक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ऋणदाताओं, व्यावसायिक सहयोगियों, कंपनी के

लेखापरीक्षकों और कंपनी के मूल्यवान ग्राहक यथा एनएचएआई दवारा कंपनी को मूल्यवान समर्थन

और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। वे सभी श्रेणी के कार्मिकों की भी उनके निष्ठापूर्ण

और समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करते हैं।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के

निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

(दीपक सबलोक)

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 06.09.2017

स्थान : नई दिल्ली

27

#### <u>अनुबंध – क</u>

### प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

#### 

सड़कों और राजमर्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढा है, जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचडीपी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी गूना खंड (एनएच-3) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन - 100% धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस

परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

#### (ii) शक्तियां और कमजीरियां

#### शिक्तयां

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर संड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

#### > कमजोरियां

- (i) प्रकृति में परिवर्तन का न्कसान है।
- (ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर उतप्रवह प्रदान करने के संबंध में क्शलता की समस्याएं होती हैं।
- (iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

#### (iii) अवसर तथा जोखिम

#### > अवसर

- (i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदत्ता बढी है।
- (ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अविध में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

#### > जोखिम

- (i) राजमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से न केवल परियोजना लागत में वृद्धि होगी बिल्क सीमित रियायत अवधि और ब्याज भुगतानों के संवर्धित बोझ के कारण राजस्व भी प्रभावित होंगे।
- (ii) बीओटी परियोजनाओं में, लागतों को अनुमानित स्तरों पर अनुरक्षित रखा जाना होता है और उतारचढाव की कम संभावना के साथ यातयात के पूर्वान्मानों को प्राप्त किया जाना होता है।

#### (iv) आउटल्क (परिदृश्य)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना "राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

#### (v) जोखिम और चिंता

- कार्यनिष्पादन प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- निर्माण परियोजनाओं के लिए मौजूदा जोखिम आकलन मॉडल विकसित देशों में अनुसरण की जा रही पद्धतियों के अनुरूप नहीं हैं।

#### (vi) प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु चालू प्रचालनिक और गैर प्रचालनिक आय और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका ।: वर्तमान वित्तीय स्थिति

	विवरण	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017
		तक की अवधि हेतु
I.	राजस्व :	
	प्रचालनों से राजस्व	29,412.43
	अन्य आय	61.15
	कुल राजस्व	29,473.58
II.	व्यय:	
	प्रचालनिक लागत	29,412.43
	कुल व्यय	29,412.43
IV.	कर पूर्व लाभ	61.15

(vii) नियुक्त लोगों सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों में सामग्रीगत विकास

कंपनी के कार्यों, वित्तीय गतिविधियों और अनिवार्य अनुपालनों और प्रकटनों की व्यवस्था करने के

लिए कंपनी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) तथा कंपनी

सचिव की निय्क्ति की है।

इसके अतिरिक्त, नियुक्तियां, यदि कोई हों, को किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व अनिवार्य अर्हताओं

तथा कौशलों और क्षमता मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

के साथ अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के

निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

ह/-

(दीपक सबलोक)

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 06.09.2017

स्थान : नई दिल्ली

32

## फॉर्म सं.एमजीटी 9 वार्षिक रिटर्न का सार

# 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष हेत [कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

#### I. पंजीकरण और अन्य ब्यौराः

1.	सीआईएन	यू45400डीएल2015जीओआई280017
2.	पंजीकरण तिथि	12 मई, 2015
3.	कंपनी का नाम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी	केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
		की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
	ब्यौरा	
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि	लागू नहीं
	कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	

## II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियां का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम	उत्पाद/सेवाओं का	कंपनी के कुल टर्नओवर का
		एनआईसी कोड	%
1.	मध्यप्रदेश राज्य में शिवपुरी-गूना खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना :	42101	100%
	निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)		

## III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण:

क्र.सं	कंपनी का नाम व	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/	धारित शेयरों का	लागू अनुच्छेद
	पता		संबद्ध	प्रतिशत	
			कंपनियों		
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई 008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

<sup>\* 100%</sup> शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 9 नामितियों के पास हैं।

## IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

#### क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की			वर्ष के	वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				
श्रेणी		संख्य	ग		[ 31 मार्च 2017 को]				दौरान %
	[31 मार्च 2016 को (निगमन की तिथि							परिवर्तन	
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल	
				शेयरों				शेयरों	
				का %				का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एचयूएफ									
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य	-	-	-		-	-	-	-	-
सरकार(सरकारें)									
घ) निकाय	शून्य	33000000	33000000	100	शून्य	150000000	150000000	100%	354%
निकाय#									
ड.) बैंक/वित्तीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्थान									

च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल	शून्य	33000000	33000000	100	शून्य	150000000	150000000	100%	354%
शेयरधारिता (क)									
ख. जन									
शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्थान									
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(सरकारें)									
ड.) उपक्रम पूंजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निधियां									
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपक्रम पूंजी									
निधियां									
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i) 1 लाख रूपए	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तक सांकेतिक									
शेयर पूंजी धारक									
व्यक्तिगत									
शेयरधारक									
ii) 1 लाख रूपए	-	-	-	-	-	-	-	-	-
से अधिक									
सांकेतिक शेयर									
पूंजी धारक									
व्यक्तिगत									
शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
करें)									
अप्रवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निगमित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निकाय									
विदेशी राष्ट्रीय	•	-	-	-	-	1	-	1	-
क्लियरिंग सदस्य	ı	-	ı	1	ı	1	-	ı	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डीआर									
उपकुल(ख)(2):-	1	-	1	1	1	-	-	ı	-
कुल सार्वजनिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरधारिता									
(ख)=(ख)(1)+									
(ख)(2)									
ग. जीडीआर तथा	-	-	-	-	-	-	-	-	- ]
एडीआर के लिए									
कस्टोडियन द्वारा									
धारित शेयर									

सकल योग	शून्य	33000000	33000000	100	शून्य	150000000	150000000	100%	354%	
(क+ख+ग)										

# निगमित निकाय: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 9 नामितियों के पास है।

#### ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का	र्ष के आरंभ	र्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या					
	नाम	31 मार्च 2	31 मार्च 2016 को (निगमन की तिथि [31 मार्च, 2017 को]				दौरान	
		शेयरों की	कंपनी के	कुल शेयरों	शेयरों की	कंपनी के	कुल शेयरों में	शेयरधारि
		संख्या	कुल शेयरों	में	संख्या	कुल शेयरों	प्रतिभूति/	ता % में
			का %	प्रतिभूति/ऋण		का %	ऋणयुक्त	परिवर्तन
				युक्त शेयरों			शेयरों का %	
				का %				
1	इरकॉन	33000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	354%
	इंटरनेशनल							
	लिमिटेड							
	कुल	33000000	100%	-	150000000	100%	शून्य	354%

प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 150,000,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

अन्य 9 शेयरधारकों के पास **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए और की ओर** से 100 शेयरधारित है।

#### ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान संचित
		शेयरधारिता	संचयी शेयरधारिता
		[31 मार्च, 2016 को	[ 31 मार्च, 2017 को]
		(निगमन की तिथि)]	

		शेयरों की	कंपनी के	शेयरों की	कंपनी के कुल
		संख्या	कुल शेयरों	संख्या	शेयरों का %
			का %		
1.	वर्ष के आरंभ में	33000000	22%	33000000	22%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए				
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में				
	वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण				
	के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट				
	इक्विटी आदि):				
		0700000	0.4.070/		10.070/
	(क) आवंटन की तिथि: 6 मई, 2016	37000000	24.67%	70000000	46.67%
	शेयरों की संख्या में वृद्धि				
	शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर				
	(क) आवंटन की तिथि: 21 जुलाई, 2016	50000000	33.33%	120000000	80%
	शेयरों की संख्या में वृद्धि				
	शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर				
	(क) आवंटन की तिथि: 5 दिसंबर, 2016	30000000	20%	150000000	100%
	शेयरों की संख्या में वृद्धि				
	शेयरों की श्रेणी: इक्विटी शेयर				
3.	वर्ष के अंत में	150000000	100%	150000000	100%

#### घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर ):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	वर्ष के	आरंभ में	वर्ष के दौरान संचित		
		शेयर	धारिता	संचयी शेयरधारिता		
		(निगमन)	की तिथि)]			
		शेयरों की	कंपनी के	शेयरों की	कंपनी के कुल	
		संख्या कुल शेयरों		संख्या	शेयरों का %	
			का %			

1.	वर्ष के आरंभ में	
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष	
	के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में	लागू नहीं।
	वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के	
	लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी	
	आदि):	
3.	वर्ष के अंत में	

## ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और	31 मार्च 201	16 को आरंभ में	31 मार्च 2017	को वर्ष के दौरान		
प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की	शेयर	धारिता*	संचित			
शेयरधारिता			संचयी शे	यरधारिता *		
	शेयरों की	कंपनी के कुल	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल		
	संख्या	शेयरों का %		शेयरों का %		
वर्ष के आरंभ में	-		-	-		
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को						
दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की						
शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का		शून्य				
तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए:						
आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट						
इक्विटी आदि):						
वर्ष के अंत में	-	-	-	-		

## च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों	अरक्षित	जमा	कुल
	सहित रक्षित	ऋण	राशियां	ऋणग्रस्तता
	ऋण			
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)		शून	य	
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन	162,65,00,000			162,65,00,000
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन		शून	य	
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	162,65,00,000			162,65,00,000
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	1,88,83,000	-	-	1,88,83,000
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)		164,53,8	33,000	

## VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

## क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	एम	डी/डब्ल्यूटी	कुल राशि		
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के	-	-	-	-	-
	अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों					

	के अनुसार वेतन					
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के	-	-	-	-	-
	अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों					
	का मूल्य					
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के	-	-	लागू नहीं	-	-
	अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के			-		
	स्थान पर लाभ					
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4.	<b>क</b> मिशन	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में					
5.	- भन्य बताएं अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	कुल (क) \$					
	अधिनियम के अनुसार सीमा					

\* आईएसजीटीएल में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान चार पूर्णकालीन निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है और वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रह हैं। अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

#### ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशको	ं का नाम		कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए				
	शुल्क				
	कमिशन				
	अन्य, कृपया बताएं				
	कुल (1)		लागू नह	și ,	
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक				
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए				

शुल्क				
कमिशन				
अन्य, कृपया बताएं				
कुल (2)				
<b>कुल (ख)=(1+2)</b> \$		लागू नह	și ,	
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		शून्य		
अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		लागू न	हीं	

## ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण		प्रमुख प्रबंधव	<b>ीय कार्मिक</b>	
		सीईओ#	सीएस	सीएफओ	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के	10,45,935	2,10,931	7,02,495	19,59,361
	अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के				
	अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के	1,44,595	-	-	1,44,595
	अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का				
	मूल्य				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद	-	-	-	-
	17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर				
	लाभ				
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, बताएं	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं				
	-निषपदन संबंधित प्रोत्साहन (पीआरपी)		-	88,286	88,286

कल	12,97,243	2,19,228	8,45,564	23,62,035
-सेवानिवृति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	1,06,713	8297	54,783	1,69,793

#परिश्रमिक: मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के पारिश्रमिक घोषणा की तिथि से केएमपी (अर्थात सीईओ और सीएफओ के मामले में 21 जुलाई 2016 और सीएस के मामले में 1 जुलाई 2016) के पारिश्रमिक का ब्यौरा उपुर्यक्त तालिका अनुसार है। तथापि, सीएफओ और सीएस क्रमशः 14 मार्च 2017 और 24 मार्च 2017 को पद मुक्त हो गए हैं और तदनुसार, सीएफओ का पारिश्रमिक केवल 31 जनवरी 2017 तक और सीएस का पारिश्रमिक दिनांक 24 मार्च 2017 तक है।

#### VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	कंपनी	संक्षिप्त	जुर्माना/दंड/अपराधों	प्राधिकार	की गई अपील,				
	अधिनियम	विवरण	की आवृति का	[आरडी	यदि कोई है				
	का अनुच्छेद		ब्यौरा	/एनसीएलटी	(ब्यौरा दें)				
				/न्यायालय ]					
क. कंपनी	क. कंपनी								
जुर्माना									
दंड			शून्य*						
कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग									
ख. निदेशक	1								
जुर्माना			शून्य*						
दंड									
कंपाउंडिंग									
ग. चूककर्ता अन्य अधिक	ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी								
जुर्माना			t						
दंड	शून्य*								
कंपाउंडिंग									

\* कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

(दीपक सबलोक)

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 06.09.2017

स्थान : नई दिल्ली

#### फार्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारीं	शून्य
	का ब्यौरा जो आर्मस लैंथ आधार पर नहीं	
	क्षे	
2.	आर्म लेंड आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं	जैसा नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है:-
	या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा	
3.	संबंधित पक्षों के नाम (नामों) और संबंधों	1) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक
	की प्रकृति	कंपनी
		2) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक
		कंपनी
4.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	1) ईपीसी समझौते में परिशिष्ट
		(ईपीसी समझौते की अनुसूची-ड. में
		संशोधन के लिए)
		2) ईपीसी समझौते में परिशिष्ट ॥
		(ईपीसी समझौते की अनुसूची-ड. में
		संशोधन के लिए)

5.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	लाग् नहीं
6.	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	ईपीसी समझौते के परिशिष्ट में 642 करोड़ रुपये के मूल्य की परियोजना की मूल कुल
	oudt along thought an anger titl	लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची को शामिल करने के लिए निष्पादित किया गया है। ।
7.	बोर्ड द्वारा स्वीकृति की तिथि(तिथियां)	1) 18 मार्च 2016 2) 21 जुलाई 2016
8.	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो:	शून्य

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त तथा की ओर से

(दीपक सबलोक)

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 06.09.2017

स्थान : नई दिल्ली

#### <u>अनुबंध – घ</u>

## निगमित शासन पर रिपोर्ट

एक सरकारी निकाय होने के कारण कंपनी पारदर्शी रूप में कुशल व्यावसायिक कार्यप्रणाली तथा संव्यवहारों के संचालन के लिए स्वीकार किए गए "निगमित शासन उपायों" का अनुपालन करती है। कंपनी समय परीक्षित निगमित कार्यप्रणाली तंत्रों का कड़ाई से अनुपालन करती है और तदर्थ नियोजन या नीति निर्धारण का अनुसरण नहीं करती। कंपनी के अधिकारियों पर उचित जवाबदेही निर्धारित की जाती है जिससे व्यवस्थित, नैतिकपूर्ण और व्यावसायिक व्यापार पद्धितियों के अनुसरण को सुनिश्चित किया जाता है।

- 1. कंपनी का दर्शन : निगमित कार्यप्रणाली को सांविधिक अनुपालनों और शासन संरचना अनुरूप तैयार किया गया है जिसे स्टेकधारकों के हितों के संरक्षण सहित लाभप्रदत्ता को अधिकतम करने के लिए संरेखित किया गया है।
- 2. निदेशक मंडल
- 2.1 बोर्ड की संरचना:-

कंपनी में गैर-कार्यपाल बोर्ड है, जिसके सदस्य हैं, श्री दीपक सबलोक, अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक, श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक, और श्री राजेंद्र सिंह यादव, निदेशक, सुश्री अनुपम बेन ने दिनांक 9 जून 2017 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालिक निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। अंशकालिक निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने संगठनात्मक कार्यों के लिए उत्पादकता और मूल्यवान अंतर्दिष्टि के तहत नियमित रूप से बोर्ड बैठक में भाग लिया है।

## 2.2 इस रिपोर्ट की तिथि को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

बोर्ड के निदेशक और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता (इस रिपोर्ट की तिथि को )

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	निगमों में सदस्यत डीएचए	i / निकाय ं समिति की ा (इरकॉन चएल को इकर) सदस्य के रूप में
दीपक सबलोक	अंशकालीन	7	1	3
[डिन 03056457]	अध्यक्ष	(इरकॉन		
		आईएसटीपीएल		
		इरकॉन पीबीटीएल		
		इरकॉन डीएचएचएल,		
		सीईआरएल,		
		और		
		एमसीआरएल		
अशोक कुमार गोयल	अंशकालीन	4	4	4
[डिन 05308809]	निदेशक	(ईएसटीपीएल,		
		इरकॉन आईएसएल		
		इरकॉन पीबीटीएल,		
		और		
		इरकॉन डीएचएचएल)		
आनंद कुमार	अंशकालीन	2	2	3

सिंह [डिन 07018776] (21.07.2016 से )	निदेशक	(इरकॉन पीबीटीएल, और इरकॉन डीएचएचएल)		
राजेंद्र सिंह यादव [डिन 07752915] (6.03.2017 से )	अंशकालीन निदेशक	2 (इरकॉन पीबीटीएल, और इरकॉन डीएचएचएल)	शून्य	5
अनुपम बेन [डिन 07797026] (09.06.2017 से )	अंशकालीन निदेशक	2 इरकॉन पीबीटीएल, और इरकॉन डीएचएचएल)	शून्य	5

## निदेशक जो निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए (वर्ष 2016-17 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक)

निदेशक	पूर्णकालीन/ अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निकाय निगमों में निदेशक पद (इरकॉन डीएचएचएल को छोड़कर)	समिति की	निकाय निगमों में सदस्यता (इरकॉन रत को छोड़कर) सदस्य के रूप में
श्री अनिल जैन (डीन 05283217) (दिनांक 12.05.2017 से 31.10.2016 तक पद पर रहे। इरकॉन में अधिवर्षिता के		(इरकॉन आईएसएल)	1	2

कारण पदमुक्त हुए और तत्पश्चात इरकॉनएसजीटीएल		
में अंशकालीन		
निदेशक का पदभार		
ग्रहण किया)		

#### टिप्पणियाँ:

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों (जिसमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां हैं) की अधिकतम सीमा के भीतर है।
- 2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
- 3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई विशिष्ट संबंध या लेन-देन नहीं है।
- निदेशक पद/सिमिति की सदस्यता संबंधी सूचना निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।
- सभी सार्वजिनक लिमिटेड कंपिनयों की लेखा सिमितियों के सदस्यों पर विचार किया
   गया है।
- 6. डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के तहत निदेशकों की समिति की संख्या पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सिहत दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति की गणना की जानी है।
- 7. कंपनियों के पूर्ण नाम निम्नानुसार विनिर्दिष्ट:
  - क) इरकॉन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

- ख) इरकॉनआईएसएल इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड
- ग) आईएसटीपीएल इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
- घ) इरकॉनपीबीटीएल इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
- ड.) इरकॉनडीएचएचएल इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
- च) सीईआरएल छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
- छ) सीईडब्ल्यूआरएल छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
- ज) एमसी आरएल महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

#### 3. वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक एवं उपस्थिति

- (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की बैठकें 09 बार आयोजित हुईं: दिनांक 6 मई 2016, 20 जून 2016, 21 जुलाई 2016, 11 अगस्त 2016, 26 सितंबर 2016, 17 अक्तूबर 2016, 05 दिसंबर 2016, 03 जनवरी 2017 तथा 14 मार्च 2017.
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के संदर्भ में अनुपस्थिति की अनुमति दी गई थी।
- (ग) वित्त वर्ष 2016- 17 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या इस प्रकार है:

निदेशक	2016-17 में बोर्ड बै	अंतिम वार्षिक बैठक आम बैठक में उपस्थिति	
	आयोजित (उनके		
	कार्यकाल के दौरान)		
श्री दीपक सबलोक	9	9	हां
श्री अनिल जैन	6	5	हां
श्री अशोक कुमार गोयल	9	9	हां
श्री आनन्द कुमार सिंह	7	7	हां
श्री राजेन्द्र सिंह यादव	1	1	लागू नहीं

श्री हितेश मनचंदा, कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया था और दिनांक 24 मार्च 2017 को पद मुक्त हुए। तदनुसार, सुश्री साक्षी मेहता की दिनांक 29 मई 2017 को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति की गई।

#### 4. निदेशक मंडल की समितियाँ:

#### 4.1 लेखपरीक्षा समिति

#### 4.1.1 संदर्भ शर्ते:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 3 कराड रूपए से बढकर 33 करोड रूपए (18 मार्च 2016 से) हो गई है, जो इरकॉन द्वारा 100 प्रतिशत धारित है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया और दिनांक 17 अक्तूबर 2016 को इनकी बैठकों आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तेंख् जैसा की बोर्ड द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, में अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं:-

- (i) कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्ते;
- (ii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी;
- (Iii) वितीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की परीक्षा;
- (iv) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन के अनुमोदन या तत्पश्चात कोई संशोधन;
- (v) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;
- (vi) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के कार्यों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
- (vii) आंतरिक वितीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- (viii) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से प्राप्त धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

#### 4.1.2 लेखापरीक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति:

निदेशक मंडल के अनुमोदन से बोर्ड की लेखापरीक्षा सिमिति, जिसमें कंपनी के तीन अंशकालीन निदेशक शामिल हैं, जिसे मूल् रूप से निदेशक मंडल के अनुमोदन से दिनांक 17 अक्तूबर 2016 को गटित किया गया था, ने कंपनी के संदर्भ शर्तों को स्वीकार किया है।

#### समिति की वर्तमान संरचना है:

श्री आनंद कुमार सिंह - अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार गोयल - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

श्री राजेंद्र सिंह यादव - सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

स्श्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं।

चूंकि श्री अनिल जैन अंशकालिक निदेशक अक्टूबर 2016 को पदमुक्त हो गए हैं और तत्पश्चात लेखापरीक्षा समिति की संरचना में दो सदस्य बाकी थे और श्री राजेंद्र सिंह यादव ने इरकॉन एसजीटीएल के बोर्ड में 6 मार्च 2017 कार्यभार ग्रहण किया, इसलिए, वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

#### 4.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके शक्तियां) नियम, 2014 के के नियम 6 के साथ पिठत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के अनुसार, सभी सार्वजिनक कंपनियों में जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रूपए या अधिक है या जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रूपए या अधिक है या कुल ऋण या उधार या डिबेंचर या जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक है, उनके लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन अनिवार्य है। समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई 2010 को डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र उद्यम के लिए पारिश्रमिक समिति के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति का गठन होगा, जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें से सभी अंशकालिक निदेशक होंगे चाहिए ( अर्थात नामिती या स्वतंत्र निदेशक), और समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे।

#### संदर्भ की शर्तें

नामांकन और पारिश्रमिक समिति :-

- उन व्यक्तियों की पहचान करें जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है,
- बोर्ड को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करनी चाहिए,
- प्रत्येक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करना।
- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मापदंड तैयार करना, और
- निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।

कंपनी ने दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-178 के और डीपीई सीजी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

सिमिति का पुनर्गठन दिनांक 14 मार्च 2017 को किया गया था। सिमिति की संरचना निम्नानुसार है: -

- (i) श्री अशोक कुमार गोयल अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक अध्यक्ष
- (ii) श्री आनंद क्मार सिंह सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक
- (iii) श्री राजेंद्र सिंह यादव सदस्य के रूप में अंशकालिक निदेशक

सुश्री साक्षी मेहता, कंपनी सचिव, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई है।

#### 5. साधारण बैठकें

पिछले दो वित्तीय वर्ष यथा 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान आयोजित आम बैठक का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध है।

तालिका-2: साधारण बैठकें

	शेयरधारक	बैठक की	समय	स्थान	संव	यवहार हेतु
क्र.सं.	बैठक का	तारीख			साधारण	विशेष कार्य
	प्रकार				कार्य	
1	पहली	16 जून,	1300	कंपनी का	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम,
	असाधारण	2015	बजे	पंजीकृत		2013 की धारा
	आम बैठक			कार्यालय,		180(1)(ग) के तहत
	(ईजीएम)			दिल्ली		प्रदत्त पूंजी और
						मुक्त आरक्षित
						निधि से अधिक
						कंपनी की उधारकर्ता
						शक्तियां
2	प्रथम वार्षिक	27 सितंबर	1200	कंपनी का	3	लागू नहीं
	आम बैठक	2016	बजे	पंजीकृत		
	(एजीएम)			कार्यालय,		
				दिल्ली		

#### 6. प्रकटीकरण और सांविधिक शिकायतें: -

निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहार, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण से संबंधित पर्याप्त प्रकटन समय-समय किया जाता है और निदेशक मंडल के समक्ष आविधिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है तािक विशिष्ट प्रत्यायोजन की स्पष्ट नीित का अनुसरण करते हुए तथा व्यावसायिक मुद्दों की व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों को प्राधिकृत करके बोर्ड द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकें। प्रकटीकरण, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में रिपोटों को समयबद्ध आधार पर बिना किसी लंबन के प्रस्तुत किया जाता है।

#### 7. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी ने वितीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन, और वितीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्त्त किया गया था (इस रिपोर्ट में अनुबंध-घ-1 के रूप में प्रस्त्त)।

#### 8. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अन्पालन के लिए प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 प्रमाणपत्र निर्धारित करता है जिसे कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों से या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त यिका जाता है। (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और क्रियान्वयसन अनुसूची - खंड 8.2: अनुपालन)। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उक्त प्रमाण पत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरुण कुमार गुप्ता और एसोसिएट्स, कंपनी सेचव, रूट्स टॉवर, प्लॉट नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 से प्राप्त किया गया है और अनुबंध-घ-2 के रूप में संलग्न है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

(दीपक सबलोक)

अध्यक्ष

डीआईएन: 03056457

दिनांक: 06.09.2017 स्थान: नई दिल्ली

#### <u>अनुबंध-घ-।</u>

#### मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरणों सिहत त्लन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

- (i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
- (ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।
- (iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और विरष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमित हुई है।
- (iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
- (v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री मसूद अहमद मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्री प्रदीप कुमार जैन मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

दिनांक: 27.07.2017

स्थान: नई दिल्ली

## लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तां के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

सेवा में, सदस्य, इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शतों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड को सार्वजिनक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है। हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कापेरिट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। कापेरिट शासन की शतों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों

कार्पोरेट शासन की शतों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है। इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता

के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता

के प्रति आश्वासन है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई

जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम

विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश के अनुसार सभी तथ्यात्मक संदर्भ में

कॉर्पोरेट शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है केवल डीपीई को तिमाही रिपोर्टें

और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को छोडकर तथा इसे भविष्य में अनुपालन किए जाने की

आवश्यकता है।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अन्रक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार

फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सिहत कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह/-

(अरूण कुमार ग्प्ता)

एफसीएस- 5551

सीपी सं - 5086

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 07.09.2017

62

### स्रभि बंसल एंड एसोसिट्स

516, कीर्ति शिखर बिल्डिंग, प्लॉट सं. 11, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाष: 91-9711584732

## फार्म सं. एमआर-3 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें, सदस्य, इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

हमने यथा मैसर्स सुरिंभ बंसल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, (सीआईएनप-U45400DL2015GOI280017) (जिसे यहां आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धितियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (सीआईएनप-U45400DL2015GOI280017) की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अविध के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रिक्याएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैं:

हमने निम्निलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त अविध के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अन्रक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनिय, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं; (उक्त अविध के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है)
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मृद्दा) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (इ.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं है)
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (कंपनी पर लागू नहीं है)।
- (vi) हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि कंपनी में विद्यमान अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच पर, कंपनी ने उसपर लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

- क. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (नियोजना के विनियम और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1996;
- ख. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;
- ग. पर्यावरण कानून, जो लागू हों;
- घ. श्रम कानून, जो लागू हों।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों सिहत अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक-। और सचिवीय मानक-॥.
- (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध की बाध्यता और प्रकटीकरण की अपेक्षा विनियम, 2015 कंपनी पर लागू नहीं।
- (iii) 'सार्वजिनक उपक्रम विभाग', भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजिनक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश। लेखापरीक्षा अविध के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

#### हम आगे उल्लेख करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों के साथ विधिवत रूप से किया जाता है। तथापि, यह ज्ञात है कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसरण में) के द्वारा की जा रही है। लेखापरीक्षा की अविध के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची का निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया

जाता है और कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजे

गए थे, और कार्यसूची पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली

मौजूद है।

बोर्ड बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे, जैसा कि निदेशक मंडल के कार्यवृत्त में

दर्ज किया गया था।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अन्पालन रिपोर्ट की समीक्षा और

कंपनी के कार्यपालक अधिकारियों के प्रमाणपत्र के आधार पर, हमारे मतान्सार कंपनी के आकार

और प्रचालन के अन्रूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी

और अन्पालन स्निश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं उपस्थित हैं।

इस रिपोर्ट को मेरे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है और

इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते स्रभि बंससल एंड एसोसिएट्स

स्रभि बंसल

प्रोप्राइटर

स.सं: ए३९०१३

सीपी सं.: 15939

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 08 सितंबर 2017

67

सेवामें, सदस्य, इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

- सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
- हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रिकयाओं का अनुसरण किया है जो सिचवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धितियां और प्रिकयाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
- हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बिहयों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक

सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है

और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का

संचालन किया है।

कृते सुरभि बंससल एंड एसोसिएट्स

सुरिध बंसल प्रोप्राइटर

स.सं: ए**3901**3

सीपी सं.: 15939

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 08 सितंबर 2017

# वित्तीय विवरण (वित्त वर्ष 2016-2017)

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सीआईएन : U45400DL2015GO1280017 तुलन पत्र 31 मार्च, 2017 को

(राशि लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2017	7 को	31 मार्च 2016 व	हो (सारा लाख म)
I.	परिसंपतियां					
1	<b>गैर चालू परिसिंपन्यिं</b> (क) परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण	3	0.72			
	<ul><li>(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां</li></ul>	4	0.72		_	
	(ग) विकासाधीन अमर्त परिसंपतियां	5	30,068.39		655.96	
	(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां (घ) वित्तीय परिसंपतियां		,			
	(i) अन्य		-		-	
	(ड.) आस्थगित कर परिसंपतियां (निवल)	6	25.35		38.20	
	(च) अन्य गैर चालू परिसंपतियां	7	-	30,094.46	3,000.00	3,694.16
2	चालू परिसंपतियां					
	(क) वित्तीय परिसंपतियां	8				
	(i) रोकड एवं रोकड समतुल्य	8.1	1,278.39		3,834.06	
	(ii) उपर्युक्त (i) से इतर अन्य		-		-	
	(iii) अन्य (ख)    चालू कर परिसंपत्तियां   ( निवल)	8.2	863.12		1,436.25	
	(ब) चालू कर परिसंपतिया (निवल) (ग) अन्य चालू परिसंपतियां	9 10	124.14 49.62	2,315.27	2.30 8.79	5,281.40
	(1) 304 410 11011111	10	45.02	2,313.27	0.73	3,201.40
	कुल परिसंपतियां			32,409.73		8,975.56
II.	इक्विटी और देयताएं					
1	इक्विटी	4.4				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी (ख) अन्य इक्विटी	11 12	15,000.00 (66.84)	14,933.16	3,300.00 3,605.78	6,905.78
	(ख) अन्य इक्किटा	12	(00.04)	14,955.10	3,003.76	0,903.76
2	देयताएं					
	गैर चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं					
	(i)कर्ज	13	16,265.00	16,265.00	-	-
	चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं					
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	14	1,093.62		1,907.43	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	15	117.95		162.35	
	(ग) चालू कर देयताएं (निवल)		-	1,211.57	=	2,069.78
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			32,409.73		8,975.56
	( ) :					
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3-36				

#### हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 01292N

(सीए जीएस भटनागर) भागीदार सं. सं 081536

स्थान ः नई दिल्ली दिनांक : 28.07.2017

(दीपक सबलोक) (आनन्द कुमार सिंह) (अशोक कुमार गोयल) निदेशक निदेशक निदेशक डीआईएन-03056457 डीआईएन-07018776 डीआईएन-05308809

(मसूद अहमद नजर) म्ख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रदीप कुमार जैन) म्ख्य वत्त अधिकारी (साक्षी मेहता) कंपनी सचिव

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सीआईएन : U45400DL2015GOI280017 लाभ एवं हानि विवरण 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु

(राशि लाख में)

			(ताश 	
	विवरण	नोट सं.	हेत	की अवधि हेत्
	राजस्व :		· <del>-</del>	· -
- 1	प्रचालनों से राजस्व	16	29,412.43	655.96
П	अन्य आय		61.15	7.34
Ш	कुल आय (I + II)		29,473.58	663.30
IV	व्ययः			
	कर्मचारी लाभ व्यय		-	
	वित्तीय लागते		-	-
	प्रचालनिक लागत	18	29,412.43	655.96
	मूल्यहास, परिशोधन व्यय	19	-	-
	अन्य व्यय		-	136.76
	कल ट्यय (IV)		20 412 42	792.72
	कुल ट्यय (IV)		29,412.43	792.72
V	 आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (I-IV)		61.15	(129.42)
	आपवादिक मदे		01.13	(123.42)
VI VII	करपर्व लाभ/हानि (V - VI)		61.15	(129.42)
VIII	कर ट्यय:		01.13	(125.42)
V 111	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेत्		9.09	-
	- पूर्ववर्ती वर्षी हेत् (निवल)		-	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)		12.85	(38.20)
	कुल कर व्यय (VIII)		21.94	(38.20)
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)		39.21	(91.22)
×	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
ΧI	बंद प्रचाचलों के कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ्/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII	अवधि हेत् लाभ/(हानि) (IX+XII)		39.21	(91.22)
XIV	अन्य वृहत आय			
	<b>क.</b> (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में प्नःवर्गीकृत नहीं			
	किया जाएगा		-	-
	ख (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	जाएगा		-	-
ΧV	अविध के लिए कुल वृहत आय (XIII +XIV) (जिसमें अविध हेतु लाभ		39.21	(91.22)
	और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)		33.22	(52122)
XVI	प्रति शेयर प्रति आमदनी			
	(निरंतर प्रचालनों हेतु)	21	0.04	(2.13)
	(1) ਸ੍ਰਕ (2) ਰਿਕਧਿਨ	21	0.04	(2.13)
XVII	प्रति इक्विटी शेयर प्रति आमदनी		0.04	(2.02)
~~"	(बंद प्रचालनों हेत्)			
	(1) मूल		-	-
	(2) विलयित		-	-
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर प्रति आमदनी			
	(बंद और निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	21	0.04	(2.13)
	(2) विंलयित		0.04	(2.02)
	l			

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी सनदी लेखाकार

एफआरएन 01292N

(अशोक कुमार गोयल) (दीपक सबलोक) (आनन्द क्मार सिंह) निदेशक निदेशक निदेशक (सीए जीएस भटनागर) डीआईएन-03056457 डीआईएन-07018776 डीआईएन-05308809

भागीदार सं. सं 081536

> (मसूद अहमद नजर) (प्रदीप कुमार जैन) (साक्षी मेहता) म्ख्य कार्यकारी अधिकारी म्ख्य वत्त् अधिकारी कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 28.07.2017

#### इरकॉन शिवप्री गुना टोलवे लिमिटेड सीआईएन : U45400DL2015GO1280017

#### रोकड प्रवाह विवरण

राक्ष अपार्व ।पपरण				ı	(राशि लाख में)
विवरण		31 मार्च 2017 व	को समाप्त वर्ष हेतु	12 मई 2015 से 31 मार्च 20	16 तक की अवधि हेत्
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
कराधान पश्चात निवल लाभ		61.15		(129.42)	
समायोजन ब्याज आय		(61.15)		(7.34)	
कार्यशली पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	(1)	0.00		(136.76)	
समायोजन					
अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्ध्रि		573.13		(1,436.25)	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्ध्रि		(40.83)		(8.79)	
अन्य वित्तीय चालू देयताओं में कमी /(वृद्ध्रि		(813.81)		1,907.43	
अन्य चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि		(44.40)		162.35	
	(2)	(325.91)		624.74	
प्रचालन से अर्जित रोकड़	(1+2)	(325.91)		487.98	
प्रदात्त आयकर		(130.93)		(2.30)	
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)		(456.84)		485.68
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों पर व्यय		(26,412.30)		(655.96)	
परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण की खरीद		(0.85)		-	
वर्ष के दौरान पूंजीगत अग्रिम		-		(3,000.00)	
प्राप्त ब्याज		61.15		7.34	
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	(ख)		(26,352.00)		(3,648.62
वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह					
इक्विटी शेयर		8,000.00		3,300.00	
शेयर आवेदन राशि		=		3,700.00	
कर्ज		16,265.00			
शेयर इश्यु व्यय		(11.83)		(3.00)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(ग)		24,253.17		6,997.00
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि कम)	(घ) (क+ख+ग+घ)		(2,555.67)		3,834.06
	(कम्बम्बम्य)		(2,333.07)		3,834.00
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (आरंभिक)	(₹.)		3,834.06		-
रोकड शेष			-		-
बैंकों में शेष			3,694.06		-
अल्पकालीन निवेश			140.00		-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (अंतिम)	(च)		1,278.39		3,834.06
रोकड शेष			405.54		-
बैंकों में शेष अल्पकालीन निवेश			125.54 1,152.85		3,694.06 140.00
			1,132.85		140.00
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धिकम)	(च - ड.)		(2,555.67)		3,834.06

#### हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

#### कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार एफआरएन 01292N

(दीपक सबलोक) (आनन्द क्मार सिंह) (अशोक क्मार गोयल) निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक (सीए जीएस भटनागर) डीआईएन-03056457 डीआईएन-07018776 डीआईएन-05308809

भागीदार सं. सं 081536

> (मसूद अहमद नजर) (प्रदीप कुमार जैन) (साक्षी मेहता) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य वत्त अधिकारी कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 28.07.2017

#### इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड 31 मार्च 2017 को इक्विटी परिवर्तन विवरण

			(राशि लाख में)
विवरण			
क. इक्विटी शेयर पूंजी			
1 अप्रैल 2016 को शेष			3,300.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर			11,700.00
31 मार्च 2017 को शेष			15,000.00
ख. अन्य इक्विटी			<u> </u>
			(राशि लाख में)
<u></u>	शेयर आवेदन राशि		
विवरण	लंबित आवंटन	प्रतिधारण आमदनी	कुल
1 अप्रैल 2016 को शेष	3,700.00	(94.22)	3,605.78
। जन्नल 2010 का राप लेखांकन नीति एंव पूर्व अविध त्रृटियों में परिवर्तन	3,700.00	(94.22)	3,003.76
रिपोर्टिंग अविधि के आरंभ में शेष की पन:बहाली	3,700.00	(94.22)	3,605.78
वर्ष हेत् लाभ	-	39.21	39.2
अन्य वृहत आय	_		ा वृहत आय
	-	39.21	39.2
नाभांश			
लाभांश संवितरण कर			
वर्ष के दौरान जारी शेयर	(3,700.00)	-	(3,700.00
31 मार्च 2017 को शेष	-	(55.01)	(55.01
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी परिवर्तन विवरण			
			خ خ
<u> </u>			(राशि लाख में
विवरण क. इक्विटी शेयर पूंजी			राशि
कः इक्क्वटा रायर पूजा आरंभिक शेष			
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर			3,300.00
31 मार्च 2016 को शेष			3,300.00
2.114 22.0 14 11			3,300.0
ख. अन्य इक्विटी			(राशि लाख में
•	<u> </u>		,
विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारण आमदनी	कुल
	लाबत जावटन		
आरंभिक शेष	-	-	-
लेखांकन नीति एव पूर्व अवधि त्रृटियों में परिवर्तन	•	•	-
रेपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुनःबहाली	•	•	-
वर्ष के लिए लाभ	-	(91.22)	(91.22
अन्य वृहत आय	-	-	
कृत वृहत आय		(91.22)	(91.22
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	3,700.00		3,700.00
कोई अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट किया जाए)		(04.55)	2.600 =0
31 मार्च 2016 को शेष	3,700.00	(91.22)	3,608.78

#### हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवपुरी गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 01292N

(दीपक सबलोक) निदेशक डीआईएन-03056457 (आनन्द क्मार सिंह) निदेशक

(अशोक कुमार गोयल) निदेशक

(सीए जीएस भटनागर)

भागीदार सं. सं 081536

डीआईएन-07018776

डीआईएन-05308809

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 28.07.2017

(मसूद अहमद नजर) म्ख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रदीप कुमार जैन) म्ख्य वत्त अधिकारी

कंपनी सचिव

(साक्षी मेहता)

# 1. निगमित स्चना

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी है जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है। कंपनी का निगमन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के निबंधन और शतों के अनुसार डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर मध्यप्रदेश राज्य में पर राष्ट्रीय राजमार्ग-03 के किमी 236.000 से किमी 332.100 (स्टेज-1) के शिवपुरी - गूना खंड को चार लेन का बनाने" के लिए किया गा है। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 12 मई, 2015 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन एसजीटीएलप ने दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 वर्ष की रियायत अवधि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियुक्ति तिथि यथा 25 जनवरी 2016 को आरंभ हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट केंद्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

# 2. महत्वपूर्ण नीतियां का सार

# (क) तैयारी का आधार

# (i) अनुपालन रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2016 को और हेतु समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने वित्तीय विवरणों को भारत में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत यथाअधिसूचित लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं। कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष सिहत सभी अविध के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैरा 7 (भारतीय जीएएपी) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण कंपनी के पहले इंड एएस वित्तीय विवरण हैं।

कंपनी द्वारा इंड एए को स्वीकार किए जाने के संबंध में एक पृथक नोट सं. 36 का संदर्भ लें।

#### (ii) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को संगत इंड एएस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य (संदर्भ नोअ 36 तथा 36.1) पर कितपय वित्तीय परिसंपितयों और देयताओं को छोडकर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

i. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है।

# (iii) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रम्ख लेखांकन अन्मान और निर्णय

• वित्तीय माध्यम का उचित मूल्य मापन

- परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्त्यों का उपयोगी जीवनकाल
- निर्माण संविदाओं के समापन के प्रतिशत का भेदभाव
- गैर वित्तीय परिसंपत्त्यों की हानि
- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि
- आस्थगित और चालू कर का अनुमान

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात / सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

सभी वित्तीय सूचवनाओं को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों कों दो दशम्लव तक निकटत करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है, केवल वहां छोडकर जहां अन्यथा उल्लिखित हो।

### (ख) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थिगत या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

# (ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(1) फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

- (2) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपितत, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपितत, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यहासित / पिरशोधित किए जाने की संभावना हो।
- (3) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:
- क. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।
- ख. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
- ग. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
- (4) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।
- (5) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।
- (6) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व

परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

### मूल्यहास

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची—।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यहासित किया जात है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण मदों के चालू अवधि के लिए परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवनकाल
कम्प्यूटर	3 - 6

पष्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

मूल्यहास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची—।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यहासित

किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

# (घ) अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

# 1. सेवा रियायत करार से इतर अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब स्वीकार किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय को प्राप्त होंगे, और उक्त मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन एवं संभावित हानि, यदि कोई हो पर वर्णित किया जाता है।

# अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

अमूर्त परिसंपित्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकालः

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	स्वःसृजित / अधिग्रहित
साफ्टवेयर	36 माह	अधिग्रहित

परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

# 2. टोल एकत्रण अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत करार)

कंपनी सेवा रियायत व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली अमूर्त संपित को स्वीकार करती है जब उसे रियायत बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए प्रभारत प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। सेवा रियायत समझौते में निर्माण या उन्नत सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त अमूर्त संपित को प्रारंभिक स्वीकृति पर प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात, अमूर्त संपित को लागत, कम संचित परिशोधन और संचित हानि पर मापा जाता है।

सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह
अविध है जहां से कंपनी रियायत अविध के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए
जनता को प्रभार वसूल करने में सक्षम होती है।

रियायती अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाए गए अधिकार के अतिमरिक्त या उक्त तिथि से प्रो-राटा के आधार पर सीधी रेखा पद्धित का उपयोग करके फ्रेट शेयरिंग राइट को संशोधित किया जाता है।

परिशोधन के तरीकों और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है, जिसमें अन्मानित आधार पर अन्मानित परिवर्तन किए जाते हैं।

अमूर्त परिसंपित के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

# (इ.) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसािक ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

#### (च) प्रावधान

प्रावधान को उस समय स्वीकार किया जाता है जबः

- i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की संभावना हो, और
- iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

### प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अविध में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

#### (छ) राजस्व मान्यता

राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और राजस्व को सुदृढता से मापा जा सकता है।

#### प्रचालन राजस्व

एससीए के तहत निर्माण संविदा राजस्व

सेवा रियायत व्यवस्था के तहत निर्माण या उन्नयन सेवाओं से संबंधित राजस्व को चरणबद्ध आधार पर स्वीकृति दी जाती है।कार्य पूरा होने पर जब निर्माण संविदा के परिणाम को सुदृढता से मापा जा सकता है और जहाँ निर्माण संविदा के परिणाम को मापा नहीं जा सकता है वहां सुदृढ राजस्व केवल संविदा लागत की सीमा तक मान्यता प्राप्त है।

टोल राजस्व

टोल राजस्व को टोल रोड से एकत्र टोल के संबंध में स्वीकार किया जाता है और यह पूर्वप्रदत्त कार्डों से राजस्व के भाग के रूप में हैं।

#### अन्य राजस्व मान्यता

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को स्वीकृति दी जाती है।

ब्याज आय को बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर पद्धिति का उपयोग करके लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाता है।

### (ज) गैर-वितीय संपत्तियों की हानि

किसी परिसंपित को हानिकर माना जाता है जब परिसंपितयों की वहन लागत अपने पुनर्प्राप्त करने योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है और हानि का नुकसान उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण के लिए स्वीकार किया जाता है जिसमें किसी परिसंपित को हानिकर माना जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी हानि की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखा अविध में मान्यता प्राप्त हानि प्रतिकर है अगर वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव हुआ है और ऐसे नुकसान या तो मौजूद नहीं हैं या कम हो गए हैं। हानिकर के प्रतिकर लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

### (झ) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अविध में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

### (ट) कर्मचारी लाभ

# (1) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

# (2) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

#### (ਠ) पट्टा

# (1) पट्टेदार के रूप में कंपनी

#### वित्तीय पट्टाः-

- (i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।
- (ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।
- (iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।
- (iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।
- (v) पिरसंपित्त के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अविध के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, पिरसंपित्त को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अविध में से कम अविध पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

#### प्रचालन पट्टा:--

- (i) पहे को प्रचालन पहे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।
- (ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के

लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

# ख) कंपनी के रूप में पट्टादाता

वित्तीय पट्टाः

- (i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।
- (ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवेल निवेश पर प्राप्य के रूप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लंखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि इस पट्ट के संबंध में स्थिर निवल बकाया निवेश पर प्रतिफल की दर को प्रदर्शित किया जा सके।

#### प्रचालन पट्टा:

- (i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रूप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है
- (ii) कार्य को पट्टा अविध पर सीधी—रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

# (इ) चालू आयकर

- (i) चालू आय सिहत करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।
- (ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।
- (iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई

- राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।
- (iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

#### ण) आस्थगित कर

- (i) आस्थिगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।
- (ii) आस्थिगित आयकर परिसंपित्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।
- (iii) आस्थिगित आयकर परिसंपित्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।
- (iv) आस्थिगित आयकर परिसंपित्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थिगित आयकर परिसंपित्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।
- (v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

# (त) प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

## (थ) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है।

प्रति शेयर विलयित आमदिनयों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अविध के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

## (द) क्रियात्मक मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

### विदेशी मुद्रा संव्यवहार

सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति,पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर—मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

# (घ) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

- i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
- ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या
- iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो। आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

आकरिमक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

# (न) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपित्त की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपित्त की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

- स्तर 1 कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के
   लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर
   स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए एचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर
   स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपितत और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

# (प) इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त / देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाता। है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

# (फ) वित्तीय माध्यम

i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

# ii. अनुवर्ती मापन

#### वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

### परिशोधित मूल्य पर

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

# अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- ख. रिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर—स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुन:वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

# लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने एवीटीपीएलके रूप मं किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पृथक नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

### वित्तीय देयताएं

### परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

# एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

# गैर-स्वीकार्यता

#### वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपित्त (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपित्त का भाग या समान वित्तीय परिसंपित्तयों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर—स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपित्त से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपित्तयों को अंतरित करता है या परिसंपित्त के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

#### वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर—स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

# (ब) वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है। इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

### (v) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जारी किन्तु प्रभावी न किए गए मानकः

# (क) इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

एमसीए ने दिनांक फरवरी 2015 को ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस 115 को अधिसूति किया थ। इस मानक में नए पांच चरणीय मॉडल को स्थापित किया गया हैजो ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर लागू होगा। इंड एएस 115 के अंतर्गत, राजस्व को उस राशि पर स्वीकार किया जाता है, जो ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्गत के लिए विनिमय में निकाय द्वारा प्राप्त की जाने वाली संभावित राशि है। इंड एएस 115 का सिद्धांत राजस्व के मापन और स्वीकृति को अधिक संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नया राजस्व मानक सभी निकायों पर लागू है और यह इंड एएस के अंतर्गत सभी वर्तमान राजस्व मान्यता अपेक्षाओं का अधिकमण करेगा।

इंड एएस 115 की प्रभावी तिथि दिनांक 1 जनवरी 2018 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधियां हैं। कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आरंभ वित्तीय वर्ष से इन मानकों को स्वीकार करे। कंपनी वर्तमान में इंड एएस 115 की अपेक्षाओं का मूल्यांकन कर रहा है और उसने अभी वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

# 3 परिसंपति , संयंत्र और उपकरण

(राशि लाख में)

विवरण	कम्प्यूटर उपकरण
लागत या मूल्यांकन	
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
समायोजन/निपटान	-
31 मार्च 2016 को समापन शेष	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.85
समायोजन	-
31 मार्च 2017 को समापन शेष	0.85
<u>म्ल्यहास एवं हानि</u>	
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य	-
वर्ष के लिए प्रभारित मल्यहास	-
हानि/समायोजन	-
31 मार्च 2016 को समापन शेष	-
वर्ष के लिए प्रभारित मल्यहास	0.13
हानि/समायोजन	-
31 मार्च 2017 को समापन शेष	0.13
<u>निवल बही मूल्य</u>	
31 मार्च 2017 को	0.72
31 मार्च 2016 को	-

# गैर चाल् परिसंपतियां अमूर्त परिसंपतियां

अमृर्त परिसंपत्तियां	
	(राशि लाख में)
विवरण	साफ्टवेयर
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.24
समायोजन	-
31 मार्च 2016 को समापन शेष	0.24
वर्ष के दौरान संवर्धन	-
समायोजन	-
31 मार्च 2017 को समापन शेष	0.24
संचित परिशोधन एवं हानि	
12 मई 2015 को आरंभिक संचित मूल्यहास एवं हानि	-
परिशोधन (विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत)	0.24
समायोजन	=
31 मार्च 2016 को समापन शेष	0.24
परिशोधन	
हानि	=
समायोजन	
31 मार्च 2016 को समापन शेष	0.24
निवल बही म्ल्य	
31 मार्च 2017 को	-
31 मार्च 2016 को	-

#### विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां \*

(राशि लाख में)

	(1111	i eller el)
विवरण	ोल एकत्रण	ा अधिकार
12 मई 2015 को आरंभिक सकल वहन मूल्य		-
वर्ष के दौरान संवर्धन		655.96
समायोजन		-
31 मार्च 2016 को समापन शेष		655.96
वर्ष के दौरान संवर्धन		29,412.43
समायोजन		-
31 मार्च 2017 को समापन शेष		30,068.39

#### विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां का ब्यौरा

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
आरंभिक शेष	655.96	i -
जमाः वर्ष के दौरान संवर्धन		1
कार्य व्यय	29,261.09	2,039.74
परामर्श एवं निरीक्षण प्रभार	- !	27.01
कर्मचारी लागत	68.59	19.27
बीमा	19.08	2.34
विधिक एवं व्यावसायिक	1.89	0.78
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.28	0.43
किराया - गैर आवासीय	3.12	1.81
यात्रा एवं कन्वेयेंस	0.05	0.08
बैंक गारंटी एवं अन्य प्रभार	3.21	1.31
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	0.58	0.25
वर्ष हेत् मूल्यहास	0.13	0.24
विविध प्रचालनिक व्यय	0.04	0.03
होटल व्यय	0.02	-
निरीक्षण, भ्-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय	88.73	-
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.27	-
चिकित्सा जांच व्यय	0.54	-
वाहन किराया प्रभार	5.35	-
पोस्टेज एंव कृरियर व्य	_	-
भर्ती व्यय	0.20	-
मरम्मत एंव अन्रक्षण	0.04	-
सो कर	_	-
टेलीफोन व्यय	0.01	-
अनुवाद व्यय	0.01	-
गैर मौद्रिक पूर्वीपेक्षाओं पर कर	0.42	-
ऋण पर ब्याज	188.83	-
आस्थगित कर व्यय	_ !	-
कुल	29,642.48	2,093.29
घटाः		1
मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज आय	228.90	18.62
सावधि जमा पर ब्याज	1.15	1
एनएचएआई से वसूली #		1,418.70
	[	1
कल	30,068.39	655.96

<sup>#</sup> अनन्तिम रूप से प्रावधान, एनएचएआई को बिल अभी प्रस्तुत नहीं किया गया, एनएचएआई से दर स्वीकृति लंबित \* विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का ब्योरा शिवपुरी गूना राजमार्ग 30,06

30,068.39 655.96

# अस्थिगित कर परिसंपत्तियांआस्थिगित कर निवल का समायोजन

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
आस्थगित कर परिसंपतियां		
प्रावधन		
- अन्य व्ययों हेत् प्रावधान	25.35	33.81
अग्रेणीत घाटा (वित्तीय वर्ष 2015-16)	-	4.39
		-
कुल आस्थगित कर परिसंपतियां	25.35	38.20

#### आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति ) में संचलन

(राशि लाख में)

			(राशि लाख न)
विवरण	घाटों का अग्रेणीत	अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	कुल
12 मई 2015 को आरंभिक शेष	-	-	-
2015-16 के दौरान प्रभारित/(नामे) लाभ एवं हानि में अन्य वृहत आय में	4.39 -	33.81 -	38.20
31 मार्च 2016 को समापन शेष	4.39	33.81	38.20
2016-17 के दौरान प्रभारित/(नामे) लाभ एवं हानि में अन्य वृहत आय में	(4.39)	(8.46)	(12.85)
31 मार्च 2017 को समापन शेष	-	25.35	25.35

#### लाभ एवं हानि में स्वीकृत आयकर

(राशि लाख में)

		(राशिलाख <i>न)</i>
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
चालू आयकरः		
चालू आयकर प्रभार	9.09	-
समायोजनः पूर्ववर्ती वर्ष	-	-
आस्थगित करः		
चालू वर्ष के सबंध में	12.85	(38.20)
देय एमएटी के संबंध में	-	-
क्ल	21.94	(38.20)

#### कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच समायोजन :

(राशि लाख में)

		(साश लाख म)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	61.15	(129.42)
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	61.15	(129.42)
भारत की सांविधि आय कर दर (31 मार्च 2016: 30.9%) राशियों का कर प्रभाव जो करयोग्य आय के परिकलन में कटौतीयोग्य (करयोग्य) नहीं हैं घटाः अस्वीकृत व्यय	18.90 3.04	(39.99) 2.72
प्रभावी आयकर दर 30.9%	21.94	(37.27)
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय (निरंतर प्रचालनों के संबंध में)	21.94	(38.20)
	21.94	(38.20)

### गैर चालू परिसंपत्तियां

#### 7 अन्य गैर चालू परिसंपतियां

विवरण	31 मार्च 2017 को	(राशि लाख में) 31 मार्च 2016 को
Iddin	31 माच 2017 का	उर्ग भाय 2016 का
(क) पूंजी अग्रिम <u>अरक्षित वसूली योग्य</u>		
<u>अरक्षित वसूली योग्य</u> इरकॉन को अग्रिम		2 000 00
इरकान का आन्म	-	3,000.00
कुल	-	3,000.00

#### 8 चालू परिसंपत्तियां वित्तीय परिसंपत्तियां

#### 8.1 रोकड एवं रोकड समतुल्य

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
बैंकों में शेष		
निर्धारित निधियां		
चालू खातों में	125.54	3,694.06
तीन महीनों से कम की मुल परिपक्वज वाली जमा राशियां	1,152.85	140.00
कुल	1,278.39	3,834.06

<sup>\*</sup> उपर्युक्त शेष एनएचएआई के साथ रियायत करार के अन्सार वर्ष वार निर्धारित निधियों वाले एस्क्रो खाते से संबंधित है।

#### 8.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
सावधि जमा पर संचित किन्त् अदेय ब्याज	0.14	0.74
अन्य वसूली योग्य पर संचित किन्त् अदेय ब्याज	-	16.76
संचित ब्याज - स्टाफ अग्रिम	0.29	-
अन्य वसूली योग्य - एनएचएआई	862.69	1,418.75
<del>.</del>		
क्ल	863.12	1,436.25

#### 9 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

विवरण	31 मार्च 2017 को	(सांश लाख में) 31 मार्च 2016 को
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		
स्रोत पर ब्याज कटौती और अग्रिम कर	133.23	2.30
घटाः देय प्रत्यक्ष कर	9.09	-
कुल	124.14	2.30

#### 10 अन्य चालू परिसंपत्तियां

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
क) अन्य		
उचित मूल्यांकन समायोजन-वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
पूर्वप्रदत्तं व्यय	6.66	8.79
प्राप्य वैट- एनएचएआई	42.96	-
क्ल - अन्य	49.62	8.79

#### 11 इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी	45,000,00	45 000 00
15,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए	15,000.00	15,000.00
	15,000.00	15,000.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी		
		3,300.00
11,70,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णत प्रदत्त और		
3,30,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए पूर्णेत प्रदत्त	15,000.00	
	15,000.00	3,300.00

#### 11.1 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारित का ब्यौरा

(राशि लाख में)

	31 मार्च	2017 को	31 मार्च 2	2017 को
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी- डरकॉन)	15,000.00	100%	330.00	100%
कुल	15,000.00	100%	330.00	100%

#### 11.2 रोकड से इतर जारी शेयर

अवधि के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया

11.3 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

(राशि लाख में)

विवरण	31 मा	31 मार्च 2017	
199१ण	शेयरों की संख्या	रूपए	
अविध के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पुंजी	330	3,300	
जमाः अवधि के दौरान जारी शेयर	1,170.00	11,700.00	
अविध के अंत में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	1,500.00	15,000.00	

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2016	
Iddivi	शेयरों की संख्या	रूपए
अविध के आरंभ में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पुंजी	-	0
जमाः अवधि के दौरान जारी शेयर	330.00	3,300.00
अवधि के अंत में बकाया जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	330.00	3,300.00

#### 11.4 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/ अधिकार

(क) वोटिंग

कंपनी में प्रति 10 रूपए मूल्य के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है।

(ख) प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए एक मत हेत् पत्र है।

(ग) लाभांश

कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है।

#### 12 अन्य इक्विटी

(राशि लाख में)

(mar mar		
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
प्रतिधारण आमदनी शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	(66.84)	(94.22) 3,700.00
क्ल	(66.84)	·

#### 12.1 प्रतिधारण आमदनी

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
आरंभिक शेष	(94.22)	-
जमाः लाभ हानि विवरण में जमा लाभ	39.21	(91.22)
घटाः प्रदत्त पूंजी में वृद्धिहेत् प्रदत्त श्ल्क	11.83	3.00
घटाः आरक्षिते निधि में अंतरण	-	
समापन शेष	(66.84)	(94.22)

#### 12.2 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

(राशि लाख में)

		(शाश लाख न)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
आरंभक शेष	3,700.00	-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	7,000.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर	(3,700.00)	3,300.00
समापन शेष	-	3,700.00

जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या	370.00
अविध जिससे पर्व ऐसे शेयर जारी किए गए हैं	
क्या कंपनी के पास पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है	हां

# 13.1 अन्य गैर चालू देयताएं

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
अरिक्षत ऋण		
(क) धारक कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) को ऋण	16,265.00	-
समापन शेष	16,265.00	-

#### \*ऋण की निबंधन और शर्ते

i) कंपनी ने कुल परियोजना लागत को पूरा करने के लिए समझौते की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपनी होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से 722.11 करोड रूपए का एक सावधि ऋण प्राप्त किया है, जिसमें से 31 मार्च 2017 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 162.65 करोड़ का वितरण किया गया है।

#### ii) ब्याज की शर्ते

लाग् ब्याज दर एसबीआई के आधार दर जमा 0.5% है।

#### iii) पुनर्भुगतान की शर्ते

सावधि ऋण, निर्धारित त्रैमासिक किश्तों में सीओड़ी से 12 महीने की समाप्ति से आरंभ होने वाले 12.5 वर्षों में च्काया जाएगा। "

#### iv) ऋण के लिए सुरक्षा की शर्तें इस प्रकार हैं:

- (i) सभी उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों पर पहली प्राथमिकता बंधक/प्रभार और वर्तमान और भविष्य दोनों में चल संपत्तियों (जिनमें सभी मौजूदा / गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों तक सीमित नहीं हैं) तक सीमित हैं।
- (ii) सभी शुल्क पर पहली प्राथमिकता शुल्क, उधारकर्ता के राजस्व और प्राप्य परियोजना संपत्ति या अन्यथा।
- (iii) सभी परियोजना समझौतों के एसाइनमेंट पर पहली प्राथमिकता शुल्क। सभी गारंटी, निष्पादन गुणवत्ता या बांड, ऋण पत्र जो किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी परियोजना समझौते को उधारकर्ता और मंजूरी के पक्ष में प्रदान किया जा सकता है और सभी अधिकार शीर्षक, अनुमोदन, परिमट, मंजूरी और ब्याज और उधारकर्ता अधिकार, शीर्षक, ब्याज प्रॉजेक्ट एग्रीमेंट और क्लीयरेंस के तहत या इसके अंतर्गत लाभ और दावा के अंतर्गत होंगे।
- (iv) बीमा अनुबंधों, बीमा पॉलिसियों और बीमा आय के तहत या इसके अंतर्गत सभी उधारकर्ताओं के अधिकार, शीर्षक ब्याज, लाभ और उधारकर्ता के दावे पर एसाइनमेंट का पहला प्राथमिकता शुल्क।
- (vi) साख सिंहत किन्तु इस तक सीमित नहीं, सिंहत उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों की पहली प्राथमिकता / प्रभार / एसाइनमेंट, वर्तमान और भविष्य दोनों सिंहत।
- (vi) सीमा के बिना उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर पहली प्राथमिकता शुल्क, एस्क्रो खाते (या उसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) और उसमें समय-समय पर जमा किए गए सभी निधियां और सभी अनुमत निवेशों या अन्य प्रतिभूतियों में एस्क्रो खाते में सभी क्रेडिट जमा किए गए हैं बशर्ते उपरोक्त (i) से (v) परियोजनाओं संपत्तियों को बाहर हों।

#### 14 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

		(राशि लाख में)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
स्टाफ	-	-
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि	-	-
क) संबंधित पक्ष	-	
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	178.75	1,904.07
ख) अन्य देय	889.75	3.13
ग) देय सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.53	0.23
घ) देय आंतरिक लेखापरीक्षा श्ल्क	0.15	-
ड.) ऋण पर ब्याज	-	-
च) एनएचएआई - स्वतंत्र इंजीनियर	24.43	-
क्ल	1,093.62	1,907.43

#### 15 अन्य चाल् देयताएं

		(राशि लाख मे)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
भुगतान योग्य संविधिक देय		
देय श्रम उपकर	32.67	20.40
देय एमपी वेट	8.17	40.79
देय आयकर - टीडीएस	77.07	101.13
देय पेशेवर कर	0.01	0.03
देय पीएफ कटौती	0.03	
क्ल	117.95	162.35

#### 16 प्रचालनों से राजस्व

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेत्	12 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि हेत्
निर्माण संविदा राजस्व		
सीएसए के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व (नोट 31 का संदर्भ)	29,412.43	655.96
कुल	29,412.43	655.96

#### 17 अन्य आय

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	(राश लाख म) 12 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि हेतु
बैंक ब्याज (सकल)	61.15	7.34
कुल	61.15	7.34

#### 18 निर्माण व्यय

		(राशि लाख मे)
विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	12 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि हेतु
निर्माण व्यय	29,412.43	655.96
क्ल	29,412.43	655.96

#### 19 मूल्यहास, परिशोधन एंव हानि

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	12 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि हेतु
परिसंपति संयंत्र और उपकरण	0.13	-
अमृर्त परिसंपत्तियां	-	0.24
क्ल	0.13	0.24
घटाः पूंजीकरण	0.13	0.24
कृल	-	-

#### 20 अन्य व्यय

(राशि लाख में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	12 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि हेत
प्राथमिक व्यय बट्टाखाता		-	136.76
कुल		-	136.76

#### सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	12 मई 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि हेतु
(।) लेखापरीक्षा श्ल्क - चाल् वर्ष	0.53	0.23
क्ल	0.53	0.23

### 21. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
मूल ईपीएस	0.04	(2.13)
मूल ईपीएस विलयित ईपीएस	0.04	(2.02)

### मूल ईपीएस

(राशि लाख में)

		(tilti tild vi)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभः		
निरंतर प्रचालन	39.21	(91.22)
बंद प्रचालन	-	-
मूल प्रति शेयर आमदनी हेतु इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ		
के प्रति लाभ	39.21	(91.22)
परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयरों पर ब्याज	-	-
विलयन प्रभाव हेतु समायोजित प्रति शेयर आमदनी हेतु इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ		
जानपना रुतु रायपटा रायरपारमा के प्रात लान	39.21	(91.22)

#### विलयित ईपीसी

(राशि लाख में)

-		(राशि लाख न)
विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
मूल ईपीएस हेतु इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत		
संख्या*	1,031	42.92
विलयन का प्रभाव		
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	2.28
परिवर्ती प्रेफरेंशियल शेयर	<u>-</u>	-
विलयन प्रभाव हेतु समायोजित प्रति शेयर शेयरों		
की औसत संख्या		
	1,031	45.20

प्रति शेयर मूल आमदनी के प्ररिकलन में प्रयुक्त वेटेड औसत इक्विटी शेयर संख्या में समायोजित प्रति शेयर विलयित आमदनी के प्रयोजन हेत् इक्विटी शेयरों की वेटेड संख्या।

# 22. वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा

(राशि लाख में)

संबंधित पक्ष का नाम	विवरण	संव्यवहार (रूपए में)		बकाया राशि	
		2016-17	2015-16	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
इरकॉन	इक्विटी में निवेश	11,700.00	3,300.00		
	ऋण	16,265.00	-	16,265.00	0
	अन्य देय राशियां			178.75	1,904.07
	सेवाएं प्रदान करना				
	कार्य संविदा	2,926.11	1920.92		
	उपयोगिता अंतरण	1,044.48	141.87		
	किराया	2.42	1.65		
	ऋण पर ब्याज	188.83	0		
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	228.90	18.62		
	व्ययों की प्रतिपृतिं	26.13	178.60		

- 23. कंपनी को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्वा वाली सहायक कंपनी के रूप में 12 मई 2015 को निगमित किया गया था।
- 24. प्रचालनों का दूसरा वर्ष होने के कारण,दिनांक 1 अप्रैल 2015 को समाप्त वर्ष के आंकडे प्रकटन हेत् उपलब्ध नहीं हैं।

#### 25. आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता में वह राशि शामिल है जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए, जिसमें आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान की राशि शामिल नहीं है।

प्रतिबद्धताः शिवपुरी गूना राजमार्ग के निर्माण के प्रति कंपनी की की पूंजीगत प्रतिबद्धता 34318 लाख रूपए। व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री/प्रापण से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताओं को विस्तृत विवरण से बचने के लिए प्रकट नहीं किया गया है।

26. कंपनी ने किसी आपूर्तिकर्ता को नियुक्त नहीं किया है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2017 को सूक्षम, लघु तथा मध्यम अद्यमों को कोई राशि देय नहीं है।

कंपनी ने किसी लघु उद्योग इकाई के किसी आपूर्तिकर्ता को नहीं लगाया है। इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2017 को लघु औद्योगिक उपक्रम को 30 दिनों से अधिक की अविध के लिए बकाया राशि शून्य है।

- 27. वर्ष के दौरान आयातों और विदेशी मुद्रा व्यय के शून्य (पिछले वर्ष शून्य) मामले हैं और इसलिए, आयात और विदेशी मुद्रा व्यय के सीआईएफ मूल्य के प्रकटन का प्रावधान लागू नहीं है।
- 28. एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के खंड 11 के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सिहत उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य

करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

## 29. कर्मचारी लाभ (लेखांकन मानक -19 के अंतर्गत प्रकटन)

इरकॉन शिवपुरी-गूना टोलवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को धारक कंपनी से प्राप्त बीजकों/ऋण पत्रों के आधार पर लेखांकित किया जाता है। इंड एएस की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

# 20. प्रचालन सेगमेंट (इंड एएस - 108 के अंतर्गत प्रकटन)

कंपनी का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर शिवपुरी गूना खंड के व्यवसाय को निष्पादित करना है, और यह उक्त कार्य तक सीमित है, और इस व्यवसाय में कोई डाइवरसिफिकेशन नहीं है। कंपनी का एकल व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्र है।

# नोट 31 (क): सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "क" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -11)। परिशिष्ट "क" यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूति सुविधाओं के साथ कौनसी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए उन्हें प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान किया जाएगा; तथा ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अविध के अंतर्ग में अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अविशष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वितीय परिसंपति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वितीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिंग लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्येक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) ने 15 जून 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को शिवपुरी गुना सेक्शन के चार लेन की परियोजना के विकास, वित्तपोषण, डिजाइन, इंजीनियर, खरीद, निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करने के लिए अधिकृत किया है और/या और इसके पूरा होने पर इसके उपयोग का अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड का यह दायित्व है कि वह शिवपुरी गुना खंड की चार लेनिंग की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं की संपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अविध समाप्त हो गई है।

रियायत की अविध नियत तिथि से 20 वर्ष होगी। रियायत अविध के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनएसजीटीएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने सेवा रियायत समझौते के तहत 663.30 लाख रूपए की वित्तीय संपत्ति को स्वीकार किया है, जिनमें 29412.43 लाख रूपए (पिछले वर्ष 655.96 लाख रूपए) अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय के हैं। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में

मान्यता प्राप्त राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपित के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने टोल सड़कों के संचालन से किसी भी राजस्व को मान्यता नहीं दी है क्योंकि लाइन का निर्माण प्रक्रिया में है। लाइन का प्रचालन आरंभ होने के बाद राजस्व बुक किया जाएगा। कंपनी ने शुरू में उचित मूल्य पर आरंभ की गई सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को मान्यता दी है और तत्पश्चात दिनांक 31 मार्च 2017 तक परिशोधित लागत पर।

## निर्माण संविदा

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-11 : निर्माण संविदाओं में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

# (रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 17 31	मार्च 16
स्वीकृत संविदा राजस्व	29,412.43	655.96
वहन लागत का सकल मूल्य और लाभ व हानि में स्वीकृत	29,412.43	655.96

"नोट 31 (ख): एनएचएआई के साथ निष्पादित रियायत समझौते के अनुसार, कंपनी को बिजली लाइनों, पानी के पाइप और टेलीफोन केबलों सिहत उपयोगिता के स्थानांतरण के कार्य को करने की आवश्यकता है, यदि ऐसी उपयोगिता परियोजना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हो। ऐसी उपयोगिता को स्थानांतरित करने की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा या उपयोगिता के निकाय द्वारा वहन की जाएगी। मार्च 2017 तक एनएचएआई से अनुमोदन के पश्चात बैक-टू-बैक आधार पर इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) को उपयोगिता शिफ्टिंग का पूरे काम उपठेके पर दे दिया गया है। एनएचएआई ने 2,463.00 लाख रुपये का ऋण दिया है, जिसे इरकॉन द्वारा दावा नहीं किया गया है और इस शेष राशि को वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया गया है।"

# 33. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धारक कंपनी से 16,265.00 लाख रूपए का ऋण लिया है।

## 33. वितीय माध्यम

# (i) श्रेणी द्वारा वितीय माध्यम

	31	मार्च 2017	' को	31 मार्च 2016 को		
विवरण	एफवीटीपी	एफवीटीओ	परिशोधित	एफवीटी	एफवीटीओ	परिशोधित
	एल	सीआई	लागत	पीएल	सीआई	लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-	-	1,278.39	-	-	3,834.06
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	863.12	-	-	1,436.25
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	2,141.51	-	-	5,270.31
वित्तीय देयताएं:			16,265.00	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं			1,093.62	-	-	1,907.43
कुल वित्तीय देयताएं						

वितीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में वर्तमान संव्यवहारों में विनिमय किया जा सकता है।

उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

- i) कंपनी द्वारा दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन ब्याज दरों, विशिष्ट राष्ट्र जोखिम कारकों और अन्य जोखिम कारकों जैसे मापदंडों पर किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसे भुगतानों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है।
- ii) गैर वर्तमान अन्य वितीय परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्षों, अन्य वितीय परिसंपत्तियों और अन्य वितीय देनदारियों का उचित मूल्य उनके वहन मूल्यों के बराबर माना जाता है।
- iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, के लिए वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

# ii) वितीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वितीय देनदारियां, ऋण और अन्य वितीय देनदारियां हैं। इन वितीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वितीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वितीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

# क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वितीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वितीय साधनों में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वितीय साधन शामिल हैं।

## ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वितीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वितीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वितीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वितीय साधनों की अविध के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

# ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वितीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वितीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वितीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वितीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वितीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वितीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवत्ता का आकलन करती है। वर्तमान में कंपनी ने केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है, इसलिए कंपनी का ऋण जोखिम न्यूनतम है।

# घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसके अंतर्गत कंपनी अपने वितीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है जब ये दायित्व देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, कि जहां तक संभव हो, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध रखे।

कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के जोखिम से संबंधित प्रक्रियाएं और नीतियां पर वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जाती हैं।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2017 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

		31 मार्च 2017 को			
विवरण	ण 1 वर्ष से		2 वर्ष या अधिक		
	कम	1-2 वर्ष	अधिक		
ऋण	5,000.00	7,000.00	4265.00		
	5,000.00	7,000.00	4265.00		

		31 मार्च 2016 को			
विवरण	1 वर्ष से	1-2 वर्ष	2 वर्ष या		
	कम	1-2 44	अधिक		
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य		
	-	-	-		

# 34. अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान और रिपोर्टिंग अविध के अंत में अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं निम्नानुसार हैं, जो अगले वितीय वर्ष परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए प्रमुख समायोजनों के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

# क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वितीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो, इन पद्धतियों के लिए इनपुट,

अवलोकनात्मक बाजारों से लिया जाता है किनतु, जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए विवेक के स्तर की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन से वितीय माध्यमों की रिपोर्टिंग में उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

## ख) कर

आस्थिगत कर परिसंपितयों को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां यह संभावित है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति हानि का उपयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के लिए अपेक्षित है कि वह आस्थिगत कर परिसंपितयों की मात्रा निर्धारित करे जो संभावित समय और स्तर के आधार पर पहचानी जा सकती है, जो भविष्य की कर योजना रणनीतियों और भावी कर योग्य लाभ पर आधारित हो।

# 35. दिनांक 08-11-2016 से 30-12-2016 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) पर प्रकटीकरण

कंपनी के पास दिनांक 08-11-2016 से 30-12-2016 के दौरन विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) पर संव्यवहार से संबंधित ब्यौरे पर दिनांक 31.03.2017 की एमसीए अधिसूचना जी.एस.आर में निर्धारित अनुसार कोई विनिर्दिष्ट बैंक नोट या अन्य डिनॉमिनेशन नहीं हैं। अधिसूचना के अनुसार डिनॉमिनेशन-वार एसबीएन और अन्य नोटों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

-	<u>एसबीएन</u>	<u>अन्य डिनॉमिनेशन</u> <u>नोट</u>	कुल
दिनांक 08.11.2016 समापन उपलब्ध रोकड		_	_
(+) अनुमत प्राप्तियां			
<u>(-) अनुमत   भुगतान                                    </u>			
(-) बैंक में जमा राशि	<u>-</u>		
दिनांक 30.12.2016 को उपलब्ध समापन शेष		_	

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट बैंक नोट" शब्द का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 08-11-2016 के एस.ओ. 3407 (ई) की अधिसूचना में दिया गया है।

नोट: इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड चैक / एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करता है और नकद में व्यवहार नहीं करता है।

#### इरकॉन शिवप्री गुना टोलवे लिमिटेड

#### नोट 36 प्रथम बार इंड एए को स्वीकार करना

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वितीय विवरण, पहले हैं जो कंपनी ने इंड-एएस के अनुसार तैयार किए हैं। 31 मार्च2016 को समाप्त होने वाली अविध सहित और अविध के लिए, कंपनी ने भारतीय जीएएपी अनुसार अपने वितीय विवरण तैयार किए, जिसमें कंपनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित) के तहत अधिसृचित लेखा मानक शामिल हैं।

तदनुसार कंपनी ने वितीय विवरण तैयार किए हैं जो 31 मार्च 2016 को या उसके बाद की अवधि के लिए लागू इंड-एएस के अनुरूप हैं औरतुलनात्मक अवधि के आंकड़ों के साथ और 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए, जैसा कि महत्वपूर्ण के सारांश में वर्णित है लेखांकन नीतियां, यह नोट कंपनी द्वारा उसके भारतीय जीएएपी वितीय विवरणों को बहाल करने के लिए किए गए प्रमुख समायोजन की व्याख्या करता है, जैसे कि 31 दिसंबर 2016 को समाप्त हुआ।

#### प्रयुक्त छूट

इंड एएस. 101, पहली बार इंड एएस के तहत कुछ अपेक्षाओं के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से कुछ छूटों की अनुमति देता है, हालांकि कंपनी ने इसे दिनांक 01.04.2015 के बाद स्वीगकार किया है, इसलिए कंपनी ने इंड एएस 101 को पहली बार स्वी कार किए जाने के संबंध में इंड एएस 101 के अनुसार कोई छूट और अपवाद नहीं लिया है।

#### 31 मार्च 2016 को इक्विटी का समायोजन

	(য়েখি নাম্ভ ন					
	विवरण	फुटनोट	भारतीय (जीएएपी)	समायोजन	इंड एएस	
1.	परिसंपत्तियां					
1	गैर चालू परिसिंपत्थां				-	
	(क) परिसंपति , संयंत्र और उपकरण		-	-	-	
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-	-	
	<ul><li>(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां</li><li>(घ) वित्तीय परिसंपतियां</li></ul>	1	674.59	(18.63)	655.96	
				-		
	(i) अन्य		-	-	-	
	(ड.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2	37.19	1.01	38.20	
	(च) अन्य गैर चालू परिसंपतियां		3,000.00	-	3,000.00	
	0.0.		3,711.78	(17.62)	3,694.16	
2	चालू परिसंपतियां					
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			-		
	(i) रोकड एवं रोकड समतुल्य		3,834.06	-	3,834.06	
	(ii) उपर्युक्त (i) से इतर अन्य		-	-	-	
	(iii) अन्य		1,436.25	-	1,436.25	
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)		2.30	-	2.30	
	(ग) अन्य चालू परिसंपतियां		8.79	-	8.79	
			5,281.40	-	5,281.40	
	कुल परिसंपतियां					
			8,993.18	(17.62)	8,975.56	
	इक्विटी और देयताएं					
II.	राज्यक					
1	(क) इक्विटी शेयर पूंजी					
	(ख) अन्य इक्विटी		3,300.00	_	3,300.00	
	(-) (-) (-)	1,2,3,4	3,623.39	(17.61)	3,605.78	
	देयताएं	, , ,	6,923.39	(17.61)	6,905.78	
2	गैर चालू देयताएं		,	, ,	,	
(i)	(क) वित्तीय देयताएं					
	(i) <del>কর্</del> ज					
(ii)						
	चालू देयताएं					
	्र (क) वित्तीय देयताएं		1,907.43	-	1,907.43	
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं		162.35	-	162.35	
	(ख) अन्य चालू देयताएं		-	-		
	(ग) चालू कर देयताएं (निवल)			-	-	
	, "		2,069.78	-	2,069.78	
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		8,993.17	(17.61)	8,975.56	
	-					

#### इरकॉन शिवप्री गुना टोलवे लिमिटेड

#### 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल वृहत आय का समायोजन

(राशि लाख में)

					(राशि लाख में)
	विवरण	फुटनोट	भारतीय (जीएएपी)	समायोजन	इंड एएस
I.	राजस्व ुः				
١	प्रचालनों से राजस्व	1	-	655.96	655.96
II.	अन्य आय	2	25.96	(18.62)	7.34
111.	कुल आय (I + II)		25.96	637.34	663.30
IV.	व्यय:				
	प्रचालनिक एवं प्रशासनिक व्यय :				
	- प्रचालनिक व्यय - प्रशासनिक व्यय		-	-	-
	- प्रशासानक ट्यय कर्मचारी लाभ ट्यय		-	-	-
	वित्तीय लागते	1	-	655.96	655.96
	प्रचालनिक लागत मुल्यहास, परिशोधन व्यय	4	- 139.76	(3.00)	- 136.76
	अन्य व्यय			(5.55)	
	कुल व्यय (IV)		139.76	652.96	792.72
V.	आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (।-।V)		(113.80)	(15.62)	(129.42)
VI.	आपवादिक मर्दे				
VII.	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		(113.80)	(15.62)	(129.42)
VIII.	कर ट्ययः				
	(1) चालू कर ————————————————————————————————————				
	- वर्ष हेत् - पूर्ववर्ती वर्षौ हेत् (निवल)		-	-	-
	(2) आस्थगति कर (निवल)	3	(37.19)	(1.01)	(38.20)
	कुल कर व्यय (VIII)		(37.19)	(1.01)	(38.20)
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)		(76.61)	(14.61)	(91.22)
	ional and a state of anomalies (and anomalies)		(70.01)	(1.101)	(31.22)
×	   बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		_	_	_
ΧI	बंद प्रचाचलों के कर व्यय		-	-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI) अविध हेत् लाभ/(हानि) (IX+XII)		(76.61)	(14.61)	(91.22)
XIII	Sidia 64 Alon/(Gilen/(IXTXIII)		(70.01)	(14.01)	(31.22)
VIV.	21-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1				
XIV	अन्य वृहत आय क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया				
	जाएगा		-	-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	-
	Land the state of			-	
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में				
	प्नःवर्गीकृत किया जाएगा				_
			-	-	-
	अवधि के लिए कुल वृहत आय (XIII +XIV) (जिसमें अवधि				
	हेत् लाभ और अन्य वृहत आय शामिल हैं, कर का निवल)				
xv	-		(76.61)	(14.61)	(91.22)
XVI	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेत्)				
	(1) ਸ਼੍ਰ				
	(2) विलयित प्रति इक्विटी शेयर प्रति आमदनी		(1.78) (1.69)	(0.35) (0.33)	
XVII	(बंद प्रचालनों हेत्)		(1.03)	(0.55)	(2.02)
	(1) मूल				
	(2) विलयित प्रति इक्विटी शेयर प्रति आमदनी				
XVIII	(बंद और निरंतर प्रचालनों हेत्)				
	(1) ਸ੍ਰਜ (2) ਰਿਜ਼ਹਿत		(1.78)	(0.35)	(2.13)
			(1.69)	(0.33)	

पूर्ववर्ती वर्ष के जीएएपी आंकडों को इस नोट के प्रयोजन हेत् इंड एएस की प्रस्त्तीकरण अपेक्षाओं की पृष्टि हेत् प्नवर्गीकृत किया गया है।

#### (राशि लाख में)

## 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लि रोकड प्रवाह पर इंड एएस का प्रभाव

विवरण	नोट	भारतीय स जीएएपी	ामायोजन	इंड एएस
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड	5	(2,496.81)	(2,982.49)	485.68
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	5	(666.13)	2,982.49	(3,648.62)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		6,997.00	-	6,997.00
रोकड एवं रोकड समतुल्य में निवल कमी		3,834.06	0.00	3,834.06
1 अप्रैल 2015 को रोकड एवं रोकड समतुल्य		-		
31 मार्च 2016 को रोकड एवं रोकड समतुल्य		3,834.06	-	3,834.06

# समायोजन संबंधी नोट

नोट 1: - इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड (इरकॉनएसटीएल) ने शिवपुरी और गुना के बीच राजमार्ग को चार लेन का बनाने के लिए एनएचएआई के साथ सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जो इंड एएस 11-सेवा रियायत व्यवस्था के परिशिष्ट के अंतर्गत है। तदनुसार, कंपनी ने इंडस्ट्रीज़ एएस -11 के परिशिष्ट ए के अनुसार 655.96 लाख रुपए के संविदा राजस्व को स्वीकार किया है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के संविदा लागत के रूप में स्वीकार किया गया है। इस अंतर से इक्विटी या कुल वृहत आय पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट 2: - पिछले जीएएपी में 18.62 लाख रु. की आय को लाभ और हानि खाते में जमा किया गया था, हालांकि कंपनी के तहत 18.62 लाख रुपये की ब्याज आय परियोजना के निर्माण काल के दौरान जुटाई गई अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज आय के रूप में स्वीकार किया है बजाय विकास के तहत अमूर्त संपत्ति में मोबलाइजेशन अग्रिम पर निर्माण गतिविधि के रूप में। इससे कारण कुल वृहत आय में 18.62 लाख रूपए की कमी आई है और कुल इक्विटी में 18.62 लाख रूपए की कमी आई है।

नोट 3: - इंड एएस -12 "आयकर" के अनुसार को तुलनपत्र परिदृश्य के के उपयोग द्वारा आस्थिगित कर को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, जो तुलनपत्र में किसी परिसंपति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच अंतर पर आधारित होता है। कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में 37.19 लाख रुपये की आस्थिगित कर संपत्ति को स्वीकार किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए घाटे को कम करने पर स्थिगित कर संपत्ति को भी स्वीकार करती है। इसके परिणामस्वरूप, कुल इक्विटी में 100.90 लाख रुपये की वृद्धि हुई है और समान राशि की वृद्धि कुल वृहत आय में हुई है।

नोट 4: - इंड-एएस 32 के अनुसार शेयर इश्यू के खर्चों को इक्विटी में स्वीकार किया जाना चाहिए, इसलिए अन्य इक्विटी में 3.00 लाख रुपये को स्वीकार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी में और अन्य व्यय में 3.00 लाख रुपये की कमी आई है।

नोट 5: - इंड-एएस के अनुसार पिछले जीएएपी आंकड़ों के पुनर्वर्गीकरण के कारण शुद्ध नकदी प्रवाह में कोई अंतर नहीं आया है और प्रचालन गतिविधियों और निवेश में अंतर आया है।

हमारी इसी तारीखा की संलग्नक रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन शिवप्री गुना टालवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते सीएस भटनागर एंड कंपनी सनदी लेखाकार

सनदी लेखाकार एफआरएन 01292N

(सीए जीएस भटनागर) भागीदार सं. सं 081536 (दीपक सबलोक) निदेशक डीआईएन-03056457 (आनन्द क्मार सिंह) निदेशक डीआईएन-07018776 (अशोक क्मार गोयल) निदेशक डीआईएन-05308809

(मसूद अहमद नजर) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रदीप कुमार जैन) मुख्य वत्त अधिकारी (साक्षी मेहता) कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 28.07.2017 सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष : 2016-17)

# इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

## 1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2017 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

# 2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सिहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपितयों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण,

चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

## 3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रृटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है।

इन जोखिम आंकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की

उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेत् पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### **4.** मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना इस प्रकार प्रदान करता है जो इंड एएस सिहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप सही और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

- (क) 31 मार्च 2017 को कंपनी के कार्य की स्थिति,
- (ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि,
- (ग) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका रोकड़ प्रवाह।

# 5. अन्य मुद्दे

दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वितीय सूचना और दिनांक 01 अप्रैल 2015 तुलन पत्र की तिथि, इन स्टैंडएलोन इंड एएस के रूप में शामिल वितीय विवरण, पहले जारी किए गए वैधानिक आधार पर हैं। कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए वितीय विवरण, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए हैं, जिनकी दिनांक 20 जून 2016 की रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्श के लिएवितीय

विवरणों पर असम्बद्ध राय व्यक्त करते हैं, जैसा कि इंड एएस के रूप में कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में अंतर के लिए समायोजित किए गए, जिन्हें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

# 6. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा-3 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण "अनुबंध-क" के रूप में दे रहे हैं।
- (2) अधिनियम के अन्च्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:
- (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (ग) कंपनी के शाखा कार्यालय के लेखों पर रिपोर्ट, जिसे शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा इस अधिनियम के अनुच्छेद 143 (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण बही खातों से मेल खाते हैं।
- (ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (च) हमारे मतानुसार, वित्तीय विवरण सतत आधार पर तैयार किए गए हैं और इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो कंपनी की कार्यप्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे।
- (छ) सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की अपात्रता से संबंधित अनुच्छेद 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (ज) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
- (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
  - (क) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।
  - (ख) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

- (ग) कंपनी ने विमौद्रीकरण अविध के दौरान जमा विशिष्ट बैंक नोटों के संबंध में अपेक्षित प्रकटन किए हैं।
- (घ) कंपनी ने दिनांक 08 नवंबर, 2016 और 30 दिसंबर, 2016 को निर्दिष्ट बैंक नोटों की धारिता के साथ-साथ दिनांक 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अविध के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों में संव्यहार के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट 35 में अपेक्षित प्रकटन प्रदान किए हैं। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और निर्दिष्ट बैंक नोटों सिहत नकदी लेनदेन की धारिता और प्रकृति के प्रति प्रबंधन के मत के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रकटन कंपनी द्वारा बनाए गए लेखा बहियों के अनुसार हैं और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं।।
- (3) अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:
  - क. कंपनी आरंभिक स्तर पर है और कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि नहीं है। इसलिए कोई रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
  - ख. ऋणों/उधारों /ब्याजों आदि में छूट/बट्टा खाता का काई मामला नहीं है। इसलिए कोई रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

ग. कंपनी के पास रिपोर्टिंग अविध के दौरान कोई इन्वेंटरी नहीं है इसिलए तीसरे पक्ष के पास पड़ी माल की रिपोर्टिंग और सरकारी तथा अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्त्यों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : **0**01292एन

सीए जी एस भटनागर साझेदार सदस्यता सं. 081536

दिनांक: 28.07.2017 स्थान: नई दिल्ली

# लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक - क

(इसके पैरा (5) का संदर्भ लें)

- i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।
  - (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपतियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनों पर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।
- ii. क. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतरालों पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी का
   भौतिक सत्यापन किया जाता है।
  - ख. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जा रही माल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत और उपयुक्त है।
  - iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को रिक्षित या अरिक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसिलए, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2015 के पैरा 3 (iii) (क) व (ख) के अंतर्गत अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- iv. हमारे विचार से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अविध के दौरान कंपनी अधियि, 2013 के खंड 185 तथा 186 के अंतर्गत किसी ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति में संट्यवहार नहीं किया है। इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- v. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई राशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 73 से 76 के प्रावधान तथा कोई अन्य संगत प्रावधान और अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।
- vi. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी पर लागू नहीं है।
- vii. क) कम्पनी सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सिहत लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अविध के लिए 31.3.2017 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।
  - ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, प्रवेश कर, व्यापार कर, आयकर, सीमाशुल्क, रायल्टी, संपति कर, भविष्य निधि, उत्पाद शुल्क तथा उपकर के संबंध में दय राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है जिसे 31.03.2017 को विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

नियम का नाम	विवादित देय	बकाया राशि	यह राशि	फॉरम जहां
	राशियों की		किस अवधि	विवाद लंबित
	प्रकृति		से संबंधित	<del>}</del>
			8	
		शून्य		

- ग) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि कंपनी पर लागू नहीं है।
- viii. कंपनी एक ऋणमुक्त कंपनी है, इसलिए वित्तीय संस्थान, बैक, सरकार या डिबैंचर धारकों को देय राशियों के पुनर्भुगतान में कपनी द्वारा चूक का प्रश्न नहीं उठता है।
- ix. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।
- x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
- xi. निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा 3 (xii) के अंतर्गत आने वाली अपेक्षाएं कंपनी पर लागू नहीं है।
- xii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।
- xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबैंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xv. कंपन एक गैर-बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते सी एस भटनागर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001292एन

सीए जी एस भटनागर साझेदार सदस्यता सं. 081536

दिनांक : 28.07.2017 स्थान : नई दिल्ली इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड के समसंख्यक वित्तीय विवरण के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का "अन्बंध ख"

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वितीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वितीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2017 को इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड की वितीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

## आंतरिक वितीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वितीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वितीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वितीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अन्रक्षण शामिल हैं।

#### लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ

अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्विकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वितीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वितीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों का अर्थ

वितीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वितीय नियंत्रण, वितीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वितीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वितीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वितीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वितीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपतियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वितीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वितीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के

टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी

के कारण सामग्रीगत द्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरक्ति,

शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का

अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रण

शर्तों में परिवर्तन के कारण अन्पय्क्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के

अन्पालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत

खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत

पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वितीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वितीय रिपोर्टिंग पर

ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण

के अनिवार्य घटकों पर विचार करते ह्ए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर

आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2016 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

सी एस भटनागर एंड कंपनी

के निमित्त और की ओर से

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001292एन

सीए जी एस भटनागर

साझेदार

सदस्यता सं. 081536

दिनांक: 28.072017

स्थान: नई दिल्ली

136

# नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां <u>वित्तीय वर्ष 2016-17</u>

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निय्क्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेंड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अन्सार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 28

जुलाई 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपीट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद

143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

> (बी.आर.मंडल) प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक

> > रेल वाणिज्य

ह/-

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :20 सितंबर 2017